10

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2019-20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' विषय पर समिति के 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

दसवां प्रतिवेदन

Formatted: Font: (Default) Mangal, 14 pt, Bold, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), Complex Script Font: Mangal, 14 pt

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

दसवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2019-20)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' विषय पर समिति के 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

20-03-2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

20-03-2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

Formatted: Font: (Default) Mangal, 14 pt, Bold, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), Complex Script Font: Mangal, 14 pt

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति का गठन.....

प्राक्कथन .....

अध्याय एक प्रतिवेदन.....

अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है...

अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों के आलोक में समिति उस पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है.....

अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिनको दोहराए जाने की आवश्यकता है....

अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके उत्तर अंतरिम स्वरूप के हैं.....

परिशिष्ट

1. दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार रेलटेल की स्थिति

2. एजेंसीवार आरओडब्ल्यू मामलों का सारांश

अनुबंध

एक. समिति की 18 मार्च, 2020 को हुई 12वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित "भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' विषय पर समिति के 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 50वां प्रतिवेदन 07 अगस्त, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। दूरसंचार विभाग ने 20.01.2019 को 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किए।

3. समिति की 18 मार्च, 2020 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय-एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण ***अनुबंध-दो*** में दिया गया है।

नई दिल्ली;

18 मार्च, 2020

28 फाल्गुन, 1941 (शक)

डॉ. शशि थरूर

सभापति

सूचना प्रौद्योगिकी

संबंधी स्थायी समिति

<u>सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सदस्य सूची (2019 - 20)</u>

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्त्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्री विजय कुमार दूबे
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. श्रीमती महुआ मोइत्रा
12. श्री पी.आर. नटराजन
13. श्री संतोष पांडेय
14. श्री निसिथ प्रामाणिक
15. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
16. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी
17. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
18. श्री संजय सेठ
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. तामिझाची थंगापंडियन
21. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

22. डा. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चद्र
24. श्री वाई.एस. चौधरी
25. श्री सुरेश गोपी
26. मो. नदीमुल हक
27. श्री सैयद नासिर हुसैन
28. डा. नरेन्द्र जाधव
29. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी
30. श्री रोनाल्ड सपा लाउ
31. श्री बेनी प्रसाद वर्मा

सचिवालय

1. श्री वाई. एम. कांडपाल - निदेशक
2. डॉ. सागारिका दास - अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक - उप सचिव

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) 'भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' विषय पर समिति के 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. 50वां प्रतिवेदन 07 अगस्त, 2018 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 21 सिफारिशें/टिप्पणियां थीं।

3. प्रतिवेदन में सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण दूरसंचार विभाग से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(एक)	वह सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है पैरा सं. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17 और 21	कुल : 10 अध्याय - 2
(दो)	वह सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों के आलोक में समिति उन पर आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- पैरा सं. शून्य	कुल: 00 अध्याय- तीन
(तीन)	वह सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: पैरा सं. 3, 7, 10, 11, 19 और 20	कुल : 06 अध्याय- चार
(चार)	वह सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम स्वरूप के हैं: पैरा सं. 9, 12, 13, 14 और 18	कुल: 05 अध्याय-पांच

4. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति यह इच्छा भी व्यक्त करती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर किया गया टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर उसे शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

5. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श करेगी।

<u>ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सम्पर्क</u>

(सिफारिश क्रम सं.. 3)

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की:

" समिति नोट करती है कि बीबीएनएल द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से व्यवहार्यता 'अंतराल निधियन (वीजीएफ) द्वारा सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को कवर करने के लिए वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है। समिति को सूचित किया गया है कि कार्यान्वयन एजेन्सियों के चयन के लिए बीबीएनएल ने निविदाएं मांगी हैं। समिति नोट करती है कि सीएसएसपीवी को

उत्तर प्रदेश में 25,000 ग्राम पंचायतों और हिमाचल प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई, हॉट-स्पॉट स्थापित करने का अनुबंध दिया गया है। राजस्थान के सभी 10,000 ग्राम पंचायतों की वाई-फाई सेवाएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कवर की जा रही हैं। इसके अलावा 5298 ग्राम पंचायतों में जिसे सैटेलाइट मीडिया द्वारा कवर किए जाने की योजना है, वाई-फाई सेवाएं भी उसी एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जो ग्राम पंचायतों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा समिति नोट करती है कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपने 25,000 टेलीफोन एक्सचेन्जों में सार्वजनिक वाई-फाई स्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अन्तर्गत सीएससी-एसपीवी द्वारा 5,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई चौपाल स्थापित किया जाना है।

एक स्पष्ट चूक जो समिति के ध्यान में आई है वह यह है कि आरम्भ में अनुमोदित मंत्रिमंडल नोट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी भारतनेट के क्षेत्र में नहीं थी और यह प्रावधान मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जुलाई 2017 में अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त अवलोकन से यह नोट किया जा सकता है कि सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई हैं, चूंकि, 1,09,099 ग्राम पंचायतों को 1 मई, 2017 तक सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है, समिति का यह सुविचारित मत है कि अब इन सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के उपयोग और प्रदान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि बीएसएनएल ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के चयन के लिए निविदाएं मंगाई है, समिति निविदा की स्थिति और इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहेगी। समिति चाहती है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत उन ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट की स्थापना पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उन्हें एसएजीवाई के अन्तर्गत स्थापित वाई-फाई हॉट स्पॉटों का राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण से अवगत कराया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि वाई-फाई हॉट-स्पॉट की स्थापना करते समय ग्राम स्तर के उद्यमियों की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और राजस्व का सृजन किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को जहां कहीं भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है वहां इसके प्रभाव के आंकलन के लिए अध्ययन भी करवाना चाहिए और इस पहल के साथ स्थानीय सांसदों को संबद्ध करना चाहिए।"

7. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पणी में निम्नवत बताया :-

"प्रारंभ में, एनओएफएन परियोजना (अब भारतनेट) को मध्यम छोर तक की कनेक्टिविटी के लिए अवसरंचना उपलब्ध कराने हेतु परिकल्पित किया गया था और सेवा प्रदाता को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच में सेवा उपलब्ध कराने के लिए सृजित एन/डब्ल्यू का उपयोग करना था। तथापि, यह देखते हुए कि सेवा प्रदाता नेटवर्क का उपयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो भारतनेट के कार्यक्षेत्र में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए सीएससी ने उत्तर प्रदेश (फेज़-I में 25,000 ग्राम पंचायतों,) हिमाचल प्रदेश (सभी ग्राम पंचायतों) और कर्नाटक (3407 ग्राम पंचायतें) और त्रिपुरा (सभी ग्राम पंचायतों) में वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित करने के लिए सीएससी को चुना गया है। इसके अलावा, राजस्थान में वाई-फाई सेवाएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा, वाई-फाई के माध्यम से शेष ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए, बीबीएनएल ने कार्यान्वयन एजेंसियों का चुनाव करने के लिए निविदा जारी की है। उत्तराखण्ड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए टीसीआईएल को 61953 ग्राम पंचायतों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है।

उपरोक्त कनेक्टिविटी में संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना है।

उपर्युक्त पैरा 1 में, उल्लेख के अनुसार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं त्रिपुरा नामत: 4 राज्यों में . सीएससी कार्यान्वयन एजेंसी है जो 32,828 स्थानों में फैली हुई है और ग्राम स्तर के उद्यमी के रूप में कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और राजस्व सृजित किया जा सके।

केरल में भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए आईआईएम कोजीकोड के माध्यम से प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को परियोजना का कार्यान्वयन होने पर किया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी स्थापित होने पर संसद सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा और ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जा रहा है।"

समिति की टिप्पणियां

8. समिति नोट करती है कि विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख ग्रा.पं.) में अंतिम छोर तक संपर्क (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) प्रदान करने हेतु चयनित राज्यों में कुछ पहलें की है, अभी तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् अभी भी सभी ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना एक दूरगामी लक्ष्य है। विभाग की अनुदानों की मांगों (2019-20) की जांच के दौरान, समिति ने नोट किया कि सेवा के लिए तैयार 1,26,223 ग्राम पंचायतों में से केवल 15,500 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट्स कार्यरत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा प्रदाता अंतिम छोर तक संपर्क के बिना नेटवर्क के उपयोग के लिए आगे नहीं आ सकते, समिति का मत है कि नेटवर्क की उपयोगिता में वृद्धि करना अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग के उत्तर में केवल ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड प्रदान करने में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों को बताया गया है, यद्यपि अत्यधिक संपर्कता की आवश्यकता वाले ग्राम पंचायतों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु ग्राम स्तरीय उद्यमियों (बीएलई) को शामिल करने के संबंध में, विभाग के उत्तरानुसार केवल 4 राज्यें में सीएससी कार्यान्वयन एजेंसी है, को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत कम हैं। चूंकि ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावना अत्यधिक है, समिति महसूस करती है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों को शामिल करने तथा रोजगार सृजन हेतु विभाग/बीबीएनएल द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सीएससी किसी न किसी रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद है। जब विभाग बड़े पैमाने और आकार पर ऐसी परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, राजस्व अर्जन हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु परियोजना में ऐसा सुनिश्चित किए जाने के लिए अधिक निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल करते हुए उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान दें तथा परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन भी करे और समिति को इस दिशा में हुई प्रगति से अवगत कराए।

परियोजना में राज्यों की भागीदारी

(सिफारिश क्रम सं. 7)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की:-

समिति को यह सूचना मिली है कि परियोजना के चरण-1 के आयोजन तथा कार्यान्वयन में इसके महत्वपूर्ण सहभागी राज्यों की भागीदारी न होने से राज्य परियोजनाओं के स्वामित्व से दूर हुए हैं जिसके कारण इसके विकास की गति धीमी हो गई है और साथ ही अवसंरचना का उपयोग न होने का जोखिम भी है। परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, अनुरक्षण तथा अवसंरचना के उपयोग में राज्यों की उचित भागीदारी न होने के कारण परियोजना सभी चरणों में प्रभावित होती है। समिति ने नोट किया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक संशोधित नीति के तहत इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 8 राज्यों यानि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलगांना तथा तमिलनाडु के 61523 ग्राम पंचायतों में स्टेट लैंड मॉडल के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान कराई जाएगी। इस मॉडल के अंतर्गत राज्य भूमिगत और उपरि ऑप्टिक फाइबर केबल तथा रेडियो केबल बिछाने के कार्य का उत्तरदायित्व संभालेंगे। इसके अलावा राज्यों का यह भी उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा परियोजना के जीवन पर्यन्त नेटवर्क प्रबंधन परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य संभालना श्रेयस्कर होगा। भारतनेट

परियोजना का स्वामित्वं नियंत्रण तथा प्रबंधन और इन राज्यों में परियोजना पर केन्द्र के नियंत्रण के संबंध में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), राज्यों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें सारे पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है और इसलिए, केन्द्र तथा राज्यों के बीच अपने हित के लिए किसी टकराव की कोई संभावना नहीं है। ये आस्तियां भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड/दूरसंचार विभाग के स्वामित्व में राष्ट्रीय आस्तियां होगी। किए गए विकास के संबंध में समिति ने नोट किया कि सभी राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दूरसंचार आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है। रू. 877.57 की अग्रिम राशि जो कि कैपेक्स का 10 प्रतिशत है; भी सभी राज्यों को प्रदान कर दी गई है। इस मॉडल की एक प्रमुख विशेषता निर्णय लेने की क्षमता का विकेन्द्रीकरण है। सभी परिचालन संबंधी निर्णय मुख्य सचिव की अगुवाई वाली राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) द्वारा लिए जाएगें। महाराष्ट्र का एक उदाहरण देते हुए, समिति को यह सूचित किया गया कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक कार्यपद्धति की स्वीकृति दी थी जिससे भारतनेट के लिए आरओडब्ल्यू से संबंधित किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति आशा करती है कि सभी 8 राज्यों में एसएलआईसी का गठन कर लिया गया होगा। समिति यह भी आशा .. करती है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से न केवल तीव्र कार्यान्वयन होगा बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का अधिक उपयोग भी होगा। समिति चाहती है कि उन्हें इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसके अंतर्गत एक राज्य अर्थात महाराष्ट्र द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अन्य सभी राज्यों द्वारा भी साझा किया जाए।"

10. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पणी में निम्नवत बताया :-

राज्य कार्यान्वयन मॉडल के अंतर्गत सभी 8 राज्यों में संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) का गठन कर दिया गया है।

राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यविधि को अन्य राज्यों में साझा करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन सीजीओ कॉम्पलैक्स, दिल्ली में दिनांक. 09.12.2017 को किया गया था, जिसमें राज्य आधारित मॉडल को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया था। इसी प्रकार की एक अन्य कार्याशाला का अयोजन स्कोप कॉम्पलैक्स, दिल्ली में दिनांक 16 सितम्बर 2018 को भी किया गया था जिसमें संबंधित राज्यों/सीपीएसयू द्वारा उपयोग में लाई जा रही सर्वोत्तम कार्यविधियों को साझा करने के लिए बीबीएनएल के सभी राज्य प्रधानों ने भाग लिया था। इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन भविष्य में भी किया जाएगा ताकि राज्यों के बीच किसी राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यविधि को साझा किया जा सके।

इसके अलावा सभी राज्यों में नेटवर्क के कार्य निष्पादन और उपयोग के लिए सुविधा हेतु राज्य की संबद्धता सुनिश्चित की जा रही है।"

समिति की टिप्पणियां

11. समिति ने इस बात पर बल दिया कि परियोजना के कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वयन का कार्य तेजी से होगा तथा इसके परिणामस्वरूप भारतनेट के अधीन तैयार अवसंरचना का उपयोग भी अधिक होगा। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तर से समिति ने यह नोट किया कि सभी 8 राज्यों में एसएलआईसीज का गठन हो चुका है तथा किसी राज्य द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों को दर्शाने के लिए सभी राज्यों में समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सभी आठ राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है। उपरोक्त प्रगति का स्वागत करते हुए भी, समिति यह नोट करके व्यथित है कि परियोजना में राज्यों की भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं हुई है। राज्यों में जिस प्रकार से परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यान्वयन नीति में कहीं न कहीं कमी जरूर है। अनुदानों की मांगों (2019-20) की जांच के दौरान राज्यों के शामिल होने के संदर्भ में समिति को यह जानकारी प्रदान की गई कि केवल 4 राज्य ही अपनी निविदाओं को अंतिम रूप दिए हैं तथा केवल चंडीगढ़ में ही कार्य सौंपा जा सका है। राज्यों द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति में विलंब इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि राज्यों को परियोजना के महत्व तथा इसकी अवसंरचना के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता के विषय में समझाया नहीं गया है। राज्य नेतृत्व वाले मॉडल में परियोजना के कार्यान्वयन की धीमी गति पर अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति इस बात को दोहराती है कि विभाग राज्यों की खराब भागीदारी के कारणों की जांच करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने एवं राज्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित/सहमत करने हेतु समेकित प्रयास करे। समिति को प्रगति से अवगत कराया जाए।

रेल टेल का कार्य निष्पादन

(सिफारिश संख्या 10 तथा 11)

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश किया:-

समिति नोट करती है कि संशोधित लक्ष्य के अनुसार जिसमें 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है - रेलटेल का गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम) पूर्वोत्तर राज्य-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर) और पुडुचेरी में 10782 ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है। समिति को सूचित किया गया है 10782 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 8203 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाई गई है, 6459 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह ओएफसी से कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है, 5493 ग्राम पंचायतों को यह सेवा प्रदत्त कर दी गई है, 3157 ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू कर दी गई है और पुडुचेरी में यह काम पूरा हो चुका है। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार समिति ने नोट किया कि प्रथम चरण में मई 2018 को जबकि बीएसएनएल और पीजीसीआईएल ने अपने 96.56 प्रतिशत और 83.71 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए रेलटेल के संबंध में यह लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत 78.13 रहा। समिति ने नोट किया कि गुजरात में इन लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी का. कारण आरमोडब्ल्यू. अनुमतियां हासिल करने में कठिनाईयों, बीएसएनएल द्वारा अव्यवहार्य एफपीओआई देना और बीएसएनएल द्वारा रख-रखाव कार्य में देरी रहा।

समिति ने नोट किया कि प्रथम चरण के अंतर्गत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रेलटेल का कार्यानिष्पादन कार्यान्वयन सबसे खराब था और इसे दृष्टिगत रखते हुए रेलटेल को अगले चरण में कोई काम नहीं दिया गया है। रेलटेल के लिए सबसे सांतवनाप्रद बात यह रही कि पुडुचेरी का काम पूर्ण हो चुका है। चूंकि : अधिकांश मुद्दे गुजरात में हल किए गए है इसलिए समिति आशा करती है कि रेलटेल ने अब तक 6411 ग्रान पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य हासिल कर लिया होगा क्योंकि लक्षित समय जून 2018 था। समिति चाहती है कि समय-सीमा के अनुसार सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए और समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।"

पूर्वोतर में रेलटेल का कार्य निष्पादन:

13. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में आगे निम्नलिखित सिफारिश की:-

समिति ने नोट किया कि चरण-1 के तहत एनई-1 (त्रिपुरा...मेघालय और., मिजोरम) और एनई- II (अरुणचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर) में 4273 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम रेलटेल को आवंटित किया गया था। समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण के काम के कारण बिछाई गई केबलों को भारी नुकसान, बार-बार भूस्खलन, पहाड़ी इलाके, भारी बारिश के कारण 5 महीने से भी कम कामकाजी मौसम लगातार अवरोध और बंद आदि पूर्वोत्तर की कुछ वास्तविक रुकावटें हैं। पूर्वोत्तर में एक और बड़ी समस्या जिलों और ब्लॉकों के बीच कमजोर ओएफसी लिंक है और इसे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत है। समिति ने नोट किया कि दूरसंचार आयोग के निर्णय के अनुसार टीसीआईएल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन कमियों का समाधान करने के लिए अध्ययन करने और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ताकि ग्राम पंचायतों तक विश्वसनीय उच्च गति नेटवर्क निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। जनवरी, 2012 में रेलटेल को जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बीच ऑप्टिकल फाइबर के विस्तार के लिए परियोजना का कार्य भी सौंपा गया था। हालांकि, दोनों परियोजनाओं में रेलटेल का निष्पादन बेहद खराब रहा है। समिति को अब सूचित किया गया है कि पूर्वोत्तर में 4273. ग्राम पंचायतों में से 1900 ग्राम पंचायतों को मार्च 2018 तक जोड़ दिया जाएगा और शेष ग्राम पंचायतों को 12 कार्य सत्रों में जोड़ दिया जाएगा।

यह पूर्णत: स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न वास्तविकं रूकावटों से प्रभावित है और वह इस रूप में देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। परियोजना के चरण एक की कार्यान्वयन रणनीति की प्रमुख रूकावट में से एक रेलटेल को पूर्वोत्तर राज्यों का आवंटन था, जहां अन्य राज्यों की तुलना में इसकी कम से कम मौजूदगी है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रेलटेल का निष्पादन निराशाजनक रहा। यह भी चिंता का विषय है कि विभाग और रेलटेल कार्यान्वयन रणनीति से जूझ रहे थे और मार्च 2018 के अंत में, आईजोल

बैठक के बाद, ओपीजीडब्ल्यू को एसईबी संगत पावर लाइनों और शेष को एडीएसएस और एसईबी पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता को सही ढंग से महसूस किया गया था। तथापि, दूरसंचार विभाग से औपचारिक मंजूरी मिलना अभी शेष है। समिति आशा करती है कि अब तक रेलटेल को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी होगी। समिति का मानना है कि कार्यान्वयन रणनीति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है ताकि पूर्वोत्तर में परियोजना के कार्य की गति में तेजी लाया जा सके। समिति को आईजोल बैठक के बाद, पूर्वोत्तर में कार्यान्वयन रणनीति की गति में तेजी लाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों से अवगत कराया जाए. समिति यह भी सिफारिश करती है कि टीसीआईएल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अध्ययन करना चाहिए और कमियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द अध्ययन करना चाहिए और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और समय पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए रेलटेल, टीसीआईएल और बीबीएनएल के अधिकारियों के बीच आवधिक समन्वय बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और यदि संभव हो, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इन निकायों के अधिकारियों की एक कोर कमिटी का गठन किया जाए।"

14. दूर संचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि:-

"रेलटेल ने जून, 2018 को भी लक्ष्यो को प्राप्त नहीं किया है। वर्तमान में लगभग 57% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए जबकि गुजरात राज्य में चरण-1 के अंतर्गत लगभग 6376 ग्राम पंचायतों में से लगभग 79% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में चरण-। के अंतर्गत कुल 4275 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से केवल 938 ग्राम पंचायतें अर्थात लगभग 22% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। रेलटेल के साथ अनेक बैठकें की गई ' हैं। शीघ्रता से कार्य पूरा करने के लिए रेलटेल पर दबाव डाला जा रहा है। जिन स्थलों पर रेलटेल ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है उन स्थलों को सेटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए अंतरित किया जा रहा है।"

टीसीआईएल को पूर्वोत्तर के नेटवर्क का अध्ययन करने तथा तथा ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ ही साथ . ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ओएफसी नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए एक दीर्घावधिक व्यापक योजना प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। टीसीआईएल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। रेलटेल को पहले ही सहमति प्रदान कर दी गई है कि वे एडीएसएस केबल के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित करें।"

समिति की टिप्पणियां

15. रेलटेल के अत्यंत खराब निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि रेलटेल निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी लक्ष्य प्राप्त करे तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपने कार्य-निष्पादन में भी सुधार करे। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि रेलटेल ने निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया है। आज की स्थिति के अनुसार रेलटेल द्वारा कुल जीपी के मात्र 57 प्रतिशत को ही सेवा के लिए तैयार किया गया है, जबकि चरण-एक के अंतर्गत गुजरात में 79 प्रतिशत को सेवा के लिए तैयार कर लिया गया है। उत्तर-पूर्व में रेल टेल का कार्य-निष्पादन दयनीय है क्योंकि कुल 4275 में मात्र 938, अर्थात् लगभग 22 प्रतिशत, जीपी ही सेवा के लिए तैयार किए जा सके हैं। विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया राज्यवार आंकड़ा यह दर्शाता है कि अरूणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 6 प्रतिशत, मिजोरम में 9 प्रतिशत, नगालैंड में 10 प्रतिशत, मेघालय में 13 प्रतिशत, मणिपुर में 40 प्रतिशत तथा त्रिपुरा में 61 प्रतिशत का है। उत्तर-पूर्व तथा देश के अन्य हिस्सों में रेल टेल का खराब कार्य-निष्पादन एक गंभीर विषय है। समिति यह नहीं समझ पा रही है कि रेल टेल के साथ हुई इतनी सारी बैठकों के बावजूद परियोजना की गति इतनी सुस्त क्यों रही। इसके बाद निश्चय ही इस बात की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता हो जाती है कि इस क्षेत्र में परियोजना कैसे पिछड़ गई है और विभाग द्वारा जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाए। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विश्वसनीय उच्च गति वाले नेटवर्क की स्थापना के संबंध में टीसीआईएल से रिपोर्ट प्राप्त करने में विभाग की विफलता भी क्षेत्र में कनेक्टविटी के विषय पर गंभीरता के अभाव का द्योतक है। इस बात पर बल देते हुए कि रेलटेल के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है, समिति यह दोहराती है कि सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रेलटेल द्वारा तत्काल प्रयास किए जाएं। विभाग इस दिशा में पिछली समीक्षा बैठक के निष्कर्षों तथा उत्तर-पूर्व में कार्यों में तेजी लाने हेतु उन पर की गई कार्रवाई समेत रेल टेल द्वारा अब तक उठाए गए कदम के बारे में विभाग को जानकारी प्रदान करे। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या टीसीआईएल ने उत्तर पूर्व के लिए दीर्घावधि व्यापक योजना प्रस्तुत की है तथा इस प्रतिवेदन के बाद क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

(सिफारिश क्रम संख्या-19)

16. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:

समिति यह नोट करती है कि भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 भूमिगत (ऑप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर की आधार अवसंरचनाओं (मोबाइल टॉवरों) के निर्माण के मामले दोनों में ही मार्गाधिकार की अनुमति प्रदान करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से बनाए गए है। समिति को सूचित किया गया है तमिलनाडु सहित जिसने हाल ही तक जब वे राज्य-मॉडल के रूप में आया था, तब तक मार्गाधिकार 'नहीं दिया है, अन्य सभी राज्यों के साथ राइट-आफ-वे (मार्गाधिकार) समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। विभाग ने यह बताया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 और उन पर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप अपनी मार्गाधिकार नीतियां बनाने का अनुरोध किया गया है। अभी तक सात राज्यों अर्थात हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और झारखंड ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियां/आदेश समेकित किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी. संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 के समुचित कार्यान्वयन के उपरांत केबल बिछाने हेतु मार्गाधिकार संबंधी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा। अभी तक केवल दो मंत्रालयों ने ही आंशिक रूप से अपनी नीतियों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 के साथ संरेखित किया है, रेल मंत्रालय ने केवल भारतनेट -परियोजना और पोत-परिवहन मंत्रालय ने भारतनेट-और स्पेक्ट्रम-परियोजना नेटवर्क के साथ इसका संरेखन किया है। तथापि, उक्त प्रयासों के बाद भी 1 मई, 2018 को 296 मार्गाधिकार संबंधी मामले लंबित थे जिनका 1241 ग्राम पंचायतों पर प्रभाव पड़ रहा है। मार्गाधिकार संबंधी मामलों को निपटाने के लिए बीबीएनएल राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। समिति को यह भी सूचना दी गई है कि रेलवे ने मार्गाधिकार संबंधी अनुमति प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाया है और वनों, एनएचएआई और तेल तथा गैस एजेंसियों के मामले में ऐसा कोई तंत्र नहीं है।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव में परियोजना के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति में आ रही बाधा : के मद्देनजर, समिति का यह मत है कि सिंगल विंडो-क्लीयरेंस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था . होने पर ही किसी परियोजना को सुचारु ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है। कि विभाग/बीबीएनएल को इस मामले को राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाना चाहिए ताकि वे भी रेलवे . की भांति मार्गाधिकार अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बना सकें। साथ ही बीबीएनएल को मार्गाधिकार के विलंबित 296 मामले निपटाने के लिए राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए ताकि 1241 ग्राम पंचायतों में काम पूरा किया जा सके।"

17. दूर संचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-

"परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और प्रगति करने के उद्देश्य से बीबीएनएल मार्गाधिकार अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अन्य राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले को उठा रहा है तथा इसके अतिरिक्त बीबीएनएल राज्य और केन्द्रीय अभिकारणों के साथ लंबित मुद्दों. का समाधान करने का भी प्रयास कर रहा है। कुछ समय से केन्द्रीय अभिकरणों के साथ मार्गाधिकार से संबंधित मामलों की संख्या कम/संशोधित हुई है तथा इसकी स्थिति को अनुबंध-V में दर्शाया गया है और अनुबंध को संलग्न भी किया गया है। लंबित मामलों की कुल संख्या काफी कम हो गई है और दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 115 है जिसका प्रभाव 481 ग्राम पंचायतों पर पड़ रहा है।"

समिति की टिप्पणियां

18. समिति ने एकल पटल मंजूरी के लिए "रो" परमिशन देने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विभाग/बीबीएनएल अन्य राज्यों/मंत्रालयों/विभागों से पहल करे ताकि वे रो परमिशन देने की प्रक्रिया को सुचारू बना सकें। विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पणी में उत्तर दिया है कि बीबीएनएल मार्गाधिकार अनुमति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने एवं राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ लंबित मामले का निपटान करने के लिए मामले को राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उठा रहा है। यद्यपि समिति लंबित मार्गाधिकार मामले जो 296 से घट गए जिससे 1241 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही थी, अब 115 हो गई है जिससे 481 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं, पर कुछ हद तक संतोष व्यक्त करती है तथापि समिति यह देखकर अप्रसन्न है कि एकल पटल अनुमति प्रणाली के माध्यम से मार्गाधिकार अनुमति देना अभी तक वास्तविकता नहीं बन पाया है। इस बात पर विचार व्यक्त करते हुए कि भारतनेट परियोजना एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है जिसमें विभिन्न एजेंसियों से अनुमति लेने के लिए विविध एजेंसियां तथा लंबी और जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं, समिति का सुविचारित मत है कि एकल पटल मंजूरी प्रणाली की स्थापना से परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन सुगम होगा। वर्तमान में 7 राज्यों ने अपनी नीतियों को संरेखित किया है और केवल दो मंत्रालयों ने आई.टी. मार्गाधिकार नियम, 2016 को ध्यान में रखकर अपनी नीति को आंशिक रूप से संरेखित किया है। समिति का विचार है कि अधिक से अधिक संख्या में राज्य/मंत्रालय अपनी नीतियों को मार्गाधिकार नियमों के अनुरूप बनाएं ताकि एकल पटल मंजूरी के माध्यम से निऐपक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मार्गाधिकार अनुमति दी जा सके। समिति विभाग/बीबीएनएल से आग्रह करती है कि वे इस दिशा में नए सिरे से कदम उठाएं और इसके परिणामों से समिति को अवगत कराएं।

राष्ट्रीय समान डक्ट नीति

(सिफारिश क्रम संख्या-20)

19. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति ने यह बताया कि अक्सर होने वाली कटौतियों और केवल के नुकसान से बचने तया कार्य को शासन बनाने तया पुर्नस्थापना लागत को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को केबल बिछाने के लिए एक समान डक्ट तैयार करना चाहिए। समिति को सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों द्वारा समान इक्ट प्रणाली का उत्तरोतर प्रयोग किया जा रहा है। विभाग ने समिति को अब यह सूचित किया है कि सभी कंपनियों के लिए समान डक्ट नीति तथा मार्गाधिकार अनुमति तैयार करने के उद्देश्य से सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता ने सचिवों के एक समूह का गठन किया गया है। अभी तक दिनांक 23.02.2018 और दिनांक 05.04.2018 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं।इस नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

समिति का यह मत है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा केबल डाले जाने के लिए समान इक्ट नीति को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इस प्रकार से बार-बार होने वाली खुदाई के कारण न केवल तार (केबल) के कटने तथा खराब होने को कम किया जा सकेगा बल्कि लंबे समय से चले आ रहे आरओडब्ल्यू मुद्दों का भी समाधान किया जा सकेगा। सनिति का यह मानना है कि इसमें विभिन्न मंत्रालयों तया एजेंसियों से सहयोग तथा सामंजस्य की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें साझा योजना एवं क्रियान्वयन की जरुरत है। अत: समिति चाहती है कि समान डक्ट नीति का मसौदा जिसे अभी तैयार किया जा रहा है को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए तथा शीघ्रातीशीय इस संबंध में कुछ पायलट परियोजनाएं भी शुरू की जाए जिससे कि इस नीति के प्रभाव को आंका जा सके तया समिति को उसके अनुरुप सूचित किया जा सके।"

20. दूर संचार विभाग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-

"विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलंब और लागत में वृद्धि से संबंधित मुद्दे की 'समीक्षा दिनांक 30.01.2018 को माननीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में हुई अवसंरचना समूह की छठी बैठक में की गई थी। अपेक्षित अनुमोदनों की बहुलता और समान नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए सचिव (आरटीएच), सचिव - (ऊर्जा), सचिव (पेट्रोलियम) तया सदस्य (इंजीनियरी) तथा रेलवे बोर्ड को सदस्य के रुप में शामिल करके सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। उक्त समिति को उपयोग के लिए समान इक्ट, राजमार्ग मोडियन/मौजूदा मार्गाधिकार पर रेलवे अवसंरचना का विकास करने की संभावना, रेलमार्गों और राजमार्गों दोनों के लिए समान टनल और पुल का उपयोग करने जैसी समान एकीकृत अवसंरचना का विकास करने की संभावना तलाशने का अधिदेश दिया गया है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, संचार मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों के मध्य समान सुविधाओं को साझा करने के लिए प्रभार की माफी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की भी जांच की जाएगी। तदनुसार, उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 23.02.2018 तथा दिनांक 05.04.2018को आयोजित की गई अपनी बैठक में उपर्युक्त मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। प्राप्त इनपुट और किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे सचिव (दूरसंचार विभाग) के दिनांक 06.07.2018 के अ.शा. पत्र के माध्यम से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था।"

समिति की टिप्पणियां

21. समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि समान डक्ट नीति, जिसे तैयार किया जा रहा था, को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए एवं इस नीति के प्रभाव को आंकने के लिए कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाए। विभाग ने सूचित किया है कि समान डक्ट नीति बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि डक्ट प्रणाली का उपयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में अधिक किया जा रहा है। समिति इस बात पर बल देती है कि देश के विभिन्न भागों में इसके उपयोग के लिए प्रयास किए जाएं। इससे बार-बार खुदाई करने से बिछाए गए केबल के कटने और क्षतिग्रस्त होने को रोकने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि मार्गाधिकार के मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी जिससे तीव्र गति से क्रियान्वयन होगा। चूंकि रिपोर्ट पहले से ही प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिए समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह संबंधित एजेंसियों को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कहे। इस संबंध में समिति की चिंताओं से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि इस संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना यथाशीघ्र शुरू की जाए ताकि इसके प्रभाव को आंका जा सके।

भाग-II

(सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियां/सिफारिशें)

(सिफारिश क्रम संख्या-1)

भारतनेट परियोजना (जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था) को सरकार ने 25 अक्तूबर, 2011 को स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) यया बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड के पास विद्यमान फाइबर का उपयोग करके देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर (ओएफ) के माध्यम से जोड़ना तथा ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को कम करने के लिए जहां आवश्यक हो वृद्धिशील (इंक्रीमेंटल) फाइबर बिछाना है। समिति नोट करती है कि सरकार ने इस योजना की अवधारणा का विचार और कार्यान्वयन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया था। भारतनेट के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड की औसत स्पीड में काफी सुधार होगा। सेवा प्रदाता जैसे मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपीएस), केबल ऑपरेटर, सामग्री प्रदाता आदि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं और ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-गवर्नेस जैसे विभिन्न एप्प उपलब्ध करा सकते हैं। योजना का दूसरा उद्देश्य भविष्य में बैंडविड्थ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संरचना उपलब्ध कराना है। पैन इंडिया द्वारा 4जी के सफलतापूर्वक प्रारंभ तथा 5जी वायरलेस, बेहतर क्लाउड सेवा, चीजों की इंटरनेट पर उपलब्धता, स्मार्ट सिटीज़ आदि के कारण आगामी पांच वर्षों में कनेक्टिविटी में विस्तार की अपार संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में इस मांग को पूरा करने के लिए ओएफसी कनेक्टिविटी पूर्वपेक्षित होगी। ब्रॉडबैंड संरचना डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता की कुंजी है। भारत सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण तथा शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा देश की जनता के और निकट लाने के लिए शासन की अवधारणा को ही बदल देने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। भारतनेट "डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की रीढ़ है और महत्वपूर्ण है तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह से भारतनेट. परियोजना की सफलता पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान में रखते हए कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं के प्रसार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जन सेवाओं की उपलब्धता तथा वित्तीय समावेशन से ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, समिति ने "भारतनेट कार्यान्वयन की प्रगति" विषय की विस्तृत जांच हेतु चयन किया। समिति की टिप्पणियां उत्तरवर्ती पैराओं में हैं।

सरकार का उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं, चूंकि पैरा केवल प्रेक्षण से संबंधित है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

फेज-I का कार्यान्वयन

(सिफारिश क्रम संख्या-2)

समिति ने नोट किया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल राज्यों, जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों तक प्रभावी रूप से पहुँचा है किंतु अधिकांश ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुँचा है। देश में लगभग 12 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क उपलब्ध था तथा कुल 6442 में से 5943 ब्लॉकों अर्थात 92% में विभिन्न टीएसपीएस के द्वारा उपलब्ध करायी गयी ओएफसी कनेक्टिविटी मौजूद थी। वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के लगभग 395 ब्लॉकों में ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है। निजी सेवा प्रदाताओं (टीएसपीएस) ने विशेष रूप से शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी ओएफसी बिछायी हैं। भारतनेट परियोजना का उद्देश्य ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का प्रावधान करना है जिसमें लगभग 6.5 लाख कि.मी. की फाइबर केबल बिछाना शामिल है और यह विश्व में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जिसके अन्तर्गत 10 वर्षों में लगभग 2 लाख कि.मी. की ओएफसी बिछाई जा रही है। चरण-एक के अंतर्गत 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल और पावरग्रिड को आबंटित किया गया है। इन तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का चयन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया है चूंकि इन तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास ओएफसी बिछाने का अनुभव है और किए गए मुद्दों के आधार पर एक संशोधित कार्यनीति बनाई गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लेने और उपकरणों का विकेन्द्रीय निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना, ओएफसी (अंडरग्राउण्ड और एरियल) व्यवस्था का अधिकतम समावेश, ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए रेडियो और सेटेलाइट, परियोजना के कार्यान्वयन में राज्यों को शामिल करना इत्यादि शामिल थे। समिति ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आरंभिक चरण में परियोजना को अवरुद्ध करने वाली प्रमुख समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य 28 दिसम्बर, 2017 को प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त प्रेक्षण से समिति स्पष्टतया नोट करती है कि विभाग द्वारा कार्यान्वयन कार्य बिना गंभीरता और ध्यान दिए बगैर किया गया है। इसके कारण परियोजना के प्रत्येक पहलू जैसे कि प्लानिंग, डिजाइन, प्रापण, कुशल कामगारों और ठेकेदारों की समयबद्ध उपलब्धता, राज्यों की भागीदारी न होने, परियोजना की व्यवहार्यता के मूल्यांकन का अभाव आदि के प्रत्येक पहलू में कमियों का ध्यान दिया गया है। अत: यह नोट किया जाना आश्चर्यजनक नहीं है कि कार्यान्वयन केवल 2014 के उपरांत ही शुरू किया जा सका। जब परियोजना को विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना होने का दावा किया गया है, तो समिति महसूस करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन की विशालता परिलक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। समिति यह आशा करती है कि सभी राज्यों में अतिरिक्त कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा और वह चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। जिसमें कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाले मुद्दों पर समयबद्ध रीति से हस्तक्षेप करके और उसका समाधान निकालकर कार्यान्वयन की गति को बनाए रखा जाए।

सरकार का उत्तर

एनओएफएन परियोजना एक बड़े स्तर की परियोजना है और फाइबर को ग्रामीण और दूरस्थ अगम्यं क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए फेज़-I के 1,00,000 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 2.2 लाख कि.मी. ओएफसी बिछाई जानी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रकृति की सर्वेक्षण आवश्यकताएं अपेक्षित थी। मौजूदा फाइबर की स्थिति भी एक चुनौती थी। परियोजना की कुछ अन्य चुनौतियां निम्नानुसार हैं:-

- दूरसंचार विभाग, बीबीएनएल, केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां/ठेकेदारों इत्यादि जैसी बहु-एजेंसियों की भागीदारी वाली अत्याधिक चुनौतीपूर्ण परियोजना।
- कठिन क्षेत्र (पहाड़ी/पथरीले/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र)/ट्रेंचिंग और बिछाने वाले ठेकेदारों की सीमित संख्या, बीएसएनएल की दरों की अनुसूची (एसओआर), ठेकेदारों द्वारा उद्धृत अधिक दरें जैसे विभिन्न कारणों के चलते निविदाएं देने में चुनौतियां।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वन, तेल एवं गैस कम्पनियां इत्यादि से आरओडब्ल्यू अनुमति के लिए लंबी और असुविधाजनक प्रक्रिया।
- वन विभाग (राज्य) से आरओडब्ल्यू की अनुमति प्राप्त करने में लगा अनुचित समय।
- हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम में राज्य लोक निर्माण विभाग को लंबे अनुनय के पश्चात नि:शुल्क आरओडब्ल्यू की अनुमति।
- कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत (वैकल्पिक सरकार) भवन की अनुलब्धता।

इन अड़चनों के कारण काम को जुलाई 2014 के बाद ही शुरू किया सका।

1 लाख ग्राम पंचायतों के फेज़-I को दिसंबर 2017 में पूरा कर लिया गया और अतिरिक्त कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

दिनांक 04.01.2019 की स्थिति निम्नानुसार है:-

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	फेज-1 में ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतें जिनके लिए पाइप बिछाई गई है	ग्राम पंचायतें जिनके लिए केबल बिछाई गई है	सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें
249704	123449	121791	120472	116508

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 46% ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर लिया गया है और 48% ग्राम पंचायतों में केबल बिछाई जा चुकी है, 48%. ग्राम पंचायतों में पाइप बिछाई जा चुकी हैं। शेष कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यान्वयन की राह में आने वाले मामलों के समाधान/समयोचित मध्यस्थता द्वारा कार्यान्वयन को सतत रखा गया है और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है।

i. संबंधित राज्य के मुख्य सचिव के अधीन राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति को राज्य आधारित मॉडल के माध्यम से सभी 8 राज्यों में गठित किया गया है।
ii. सीजीएम बीएसएनएल के अन्तर्गत सभी राज्यों में कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया जहां परियोजना का कार्यान्वयन बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।
iii. परियोजना की निगरानी के लिए प्रशासक, यूएसओएफ के अन्तर्गत संचालन समिति का गठन किया गया. और समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। संचालन समिति सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर भारतनेट के परियोजना संबंधी मुद्दों का समाधान कर रही है।
iv. परियोजना को शीघ्रता से करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है।

v. सभी राज्यों के बीबीएनएल, सीपीएसयू के अध्यक्षों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना की समीक्षा की जा रही है।

vi. वास्तविक समय आधार पर परियोजना की निगरानी के लिए बीबीएनएल के कारपोरेट कार्यालय में विशिष्ट नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

vii. आरओडब्ल्यू अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु आरओडब्ल्यू के लिए नोडल अधिकारी, जीएम (पीएम-I) को नामित किया गया है।

viii. परियोजना की बेहतर निगरानी के लिए बीबीएनएल द्वारा पीएम टूल (वेब आधारित सॉफ्टवेयर) कार्यान्वित किया गया है।

ix. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के सभी अध्यक्षों के साथ सप्ताह में दो बार समीक्षा की जाती है।

x. सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन किया गया।

xi. माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सचिव (टी) द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है।

xii. समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं और बीबीएनएल की राज्य इकाईयां : परियोजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति दिनांक 20.02.2018)

(सिफारिश क्रम संख्या-4)

विभाग ने समिति को सूचित किया है कि भारतनेट संरचना से संबद्ध प्रमुख मुद्दा यह है कि 24 फाइबर ऑप्टिकल केबल प्वाइन्ट ऑफ इंटरकनेक्ट (पीओआई) पर बीएसएनएल के एकल फाइबर से जुड़ा हुआ है जिससे 23 फाइबर स्ट्रेन्डों का कम उपयोग होता है। इसके अलावा, ब्लॉक और पीओआई के बीच एक कटाव से अनेक ग्राम पंचायतों में सेवा बाधित हो जाएगी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से समिति ने नोट किया है कि सभी 24 फाइबरों का उपयोग अभी सम्भव नहीं होगा क्योंकि अभी केवल वृद्धिशील केबल ही डाला गया है। तथापि भविष्य में यदि वृद्धिशील केबल का विस्तार ब्लॉक तक किया जाता है तब सभी 24 केबलों का पूर्ण उपयोग सम्भव होगा।

समिति चाहती है कि विभाग को इस संबंध में एक भावी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ देने के लिए सभी फाईबरों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि चरण-I के अन्तर्गत पूर्ण की गई सभी ग्राम पंचायतों में ओएफसी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके चूंकि चरण-II के अन्तर्गत खराब गुणवत्ता वाले फाइबर को बदलने की बजाए ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक नया ओएफसी डाला जाएगा, समिति आशा करती है कि ओएफसी के उपयोग न होने की समस्या अब उत्पन्न नहीं होगी। इस समस्या के समाधान और सभी ... फाइबरों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

चरण-1 के अंतर्गत 23 'फाइबर-स्ट्रेण्ड' का कम उपयोग किया गया था। संरचना संबंधी परिप्रेक्ष्य में कम उपयोग होने संबंधी मुद्दे को समाप्त करने के आशय से चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक केबल बिछाई जा रही है ताकि सभी फाइबरों का उपयोग किया जाना संभव हो सके तथा फाइबर के कम उपयोग होने संबंधी मुद्दा न उठे।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.शा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2019)

चरण-II का कार्यान्वयन और धनराशि के उपयोग की स्थिति

(सिफारिश क्रम संख्या-5)

समिति-नोट करती है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना की गति को शिथिल करने वाली कमियों को दूर करने के प्रयोजनार्थ भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 19.07.2017 को एक संशोधित कार्यनीति अनुमोदित की थी। संशोधित कार्यनीति के अनुसार चरण-II के अन्तर्गत शेष 1,50,000 ग्राम पंचायतों (अनुमानत:) में मार्च, 2019 तक इसे कार्यान्वित किए जाने का लक्ष्य है। चरण-II के लिए संशोधित कार्यनीति की कुछेक मुख्य विशेषताएं हैं- राज्यों, निजी क्षेत्र और केन्द्र सरकार के उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना, ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी, रेडियो और उपग्रह) का श्रेष्ठ उपयोग मिश्रण ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक नयी फाइबर बिछाना, परियोजना के जीवन पर्यन्त नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण, देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए वाई-फाई अथवा किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी। समिति नोट करती है कि चरण-II एक महत्वकांक्षी परियोजना है और इसके कार्य की शुरूआत हो चुकी है। 8 राज्यों में राज्य आधारित मॉडल के अन्तर्गत, 2 राज्यों में निजी क्षेत्र आधारित मॉडल के अन्तर्गत और 10.राज्यों में केन्द्र सरकार के उपक्रम आधारित मॉडल के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। 6407 ग्राम पंचायतों को उपग्रह के माध्यम से जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए बीबीएनएल ने 5000 ग्राम पंचायतों हेतु निविदाएं आमंत्रित की थी। धनराशि के उपयोग के संबंध में, समिति को जानकारी दी गई है कि चरण-II के अन्तर्गत आंबटित 30,920 करोड़ रूपए और यह राशि निविदा प्रक्रिया के दौरान बढ़ सकती है तथा धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता, स्वीकृत होने पर इसके लिए मंत्रिमंडल/टीसी की अनुमति उचित समय पर ली जाएगी।

इस तथ्य के मद्देनजर कि इस परियोजना में अनेक बार समय और लागत में वद्धि हई तथा इस परियोजना का चरण-। अत्यधिक विलंब के पश्चात् दिसंबर, 2017 में ही पूरा किया जा सका, समिति सिफारिश करती है कि इस परियोजना के लक्ष्यों को दी गई समय-सीमा अर्थात मार्च 2019 तक पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि चरण-II में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि स्थानीय युवाओं को इसमें जोड़ा जाए/कार्य में लगाया जाए तथा विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य और अन्य ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि चरण-II में परियोजना की प्रगति और हासिल किए गए सभी परिणामों से उसे अवंगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त, समिति यह इच्छा भी व्यक्त करती है कि विभाग धनराशि का समयोचित उपयोग सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करे ताकि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति धनराशि की कमी के कारण प्रभावित न हो।

सरकार का उत्तर

जैसा कि पारा 2 में स्पष्ट किया गया है परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

चरण-1 की प्रगति को देखते हुए चरण-II के कार्य का निष्पादन, 3 मॉडलों यथा 8 राज्यों में राज्य आधारित मॉडल, . 10 राज्यों (8 राज्यों में बीएसएनएल तथा 2 राज्यों में पीजीसीआईएल के माध्यम से) में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर आधारित मॉडल और 2 राज्यों में निजी राज्य आधारित मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है। राज्यों को मानीटरिंग संबंधी कार्यों में सहभागिता है और कार्य निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी एक ही एजेंसी. को सौंपी गई है। इस स्थिति के चलते परियोजना का कार्यान्वयन समयबद्ध आधार पर पूरा होने की आशा इसके अतिरिक्त, देश में सेटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से ऐसी 6407 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वयन संबंधी कार्य किया जा रहा है जो ग्राम पंचायतें मुख्यत: खराब कनेक्टिविटी वाले दूरस्थ एवं पहाड़ी स्थानों में अवस्थित है। 6407 ग्राम पंचायतों में से 1407 ग्राम पंचायतों को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा सेटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है जबकि शेष ग्राम पंचायतों में यह कार्य बीबीएनएल द्वारा एक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। बीबीएनएल एवं बीएसएनएल अर्थात दोनों द्वारा कार्यान्वयन हेतु कार्य आदेश/क्रय आदेश दे दिया गया है।

जैसा कि पैरा 2 में पहले से ही उल्लिखित है गति को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवस्था कायम की गई है और कार्यान्वयन के दौरान पेश आने वाली समस्याओं को समय से संज्ञान लेकर/मामलों को सुलझाकर क्रियान्वयन की गति को बनाए रखा जाता है।

चूँकि परियोजना के सफल निष्पादन हेतु बड़ी संख्या में कुशल और अर्द्ध-कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अत: इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार के अपार अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही नेटवर्क, प्रचालन और नेटवर्क का अनुरक्षण सेवाओं के विक्रय सहित युवाओं के लिए रोजगार भी उत्पन्न करेंगा। परियोजना की प्रगति अनुबंध-1 में दी गई है।

परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.जा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

<u>परियोजना के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक पद्धति</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-6)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की कार्यनीति और स्वीकृति की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा रिंग टोपोलॉजी में ओ.एफ.सी. की लंबाई और परियोजना की कुल लागत का आकलन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार रिंग टोपोलॉजी में ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 72,778 करोड़ रूपए के कुल निवेश के साथ 17,11,000 कि.मी. की कुल लंबाई वाली ओएफसी बिछाई जाएगी। इस प्रकार की अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता पर गंभीर रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि परियोजना की लागत निश्चय ही रूपए 72,778 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। समिति ने दिनांक 14.10.2015 के अपने प्रतिवेदन में वित्तपोषण की नवीन पद्धति के बारे में सलाह दी है कि यू.एस.ओ.एफ. (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) के द्वारा इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा सकती है। साथ ही, अतिरिक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उसके द्वारा सुझाए गए वित्तपोषण के कुछ विकल्प बांड जारी करना, विक्रेता वित्तपोषण/आस्थगित भुगतान और आधिकारिक विकास सहायता/बाहरी एजेंसियों द्वारा सहायता आदि है। उपरोक्त दोनों समितियों के सुझावों पर ध्यान देते हुए इस समिति का यह विचार है कि भारी धनराशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भले ही इस परियोजना के लिए धनराशि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त की जा रही हो, विभाग को यह ध्यान रखना चाहिए कि परियोजना को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने के सभी संभावित उपाय समिति द्वारा वित्तपोषण की नवीन पद्धति से संबंधित सुझावों के आलोक में किए जाएं।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के पास कुल 47341.62 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। यूएसओएफ की चालू परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.जा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)।

चरण -I और II में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संचालित मॉडल

(सिफारिश क्रम संख्या-8)

समिति नोट करती है कि परियोजना का चरण I तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल को आवंटित किया गया है। परियोजना की प्रगति और निष्पादन को प्रभावित करने हेतु नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) संबंधी रणनीति और रवैये की समीक्षा करने के लिए गठित समिति द्वारा बताए गए कारणों में से एक कारण नेटवर्क के विस्तार हेतु समिति एजेंसियों पर निर्भरता बताया गया है। चरण-II के अंतर्गत 56,105 ग्राम पंचायतों को शामिल करने वाले 10 राज्यों को सीपीएसयू संचालित मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति नोट करती है कि बीबीएनएल ने 45454 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को 8 राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और जम्मू और कश्मीर आवंटित किए थे। बीएसएनएल ने 41,403 ग्राम पंचायतों के लिए एनआईटी जारी किए हैं और दिनांक 1 मई 2018 की स्थिति के अनुसार 9717 ग्राम पंचायतों के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं। जून, 2018 तक बीएसएनएल सुदूर स्थानों पर 1407 ग्राम पंचायतों को भी कनेक्ट करेगा जिसके लिए निविदा जारी की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पीजीसीआईएल को 8700 ग्राम पंचायत आवंटित की गई हैं जिसके लिए इन दो राज्यों के साथ चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें विद्युत वितरण लाइनों की उनकी अवसंरचना को साझा करने का प्रावधान किया जा रहा है। विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि दोनों राज्य अपनी विद्युत वितरण लाइनों का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं और दी गई समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। समिति नोट करती है कि रेलटेल को चरण-1 में उसके निराशाजनक निष्पादन के कारण चरण-II में कोई कार्य नहीं सौंपा गया है।

उपर्युक्त टिप्पणियों से समिति नोट करती है कि ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलोजी में विशेषज्ञता और अनुभव होने के बावजूद, चरण-1 में तीनों केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। इसी कारण से यह बताया गया है कि केवल तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना ही परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारणों में से एक कारण है। जिस तरह से तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 'दवारा परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है वह स्पष्ट रूप से यह बताता है कि उनमें बड़ी परियोजना का कार्यान्वयन करने की सक्षमता और पर्याप्त विशेषज्ञता की कमी थी। इससे केवल यही प्रतीत होता है कि यदि यह कार्य इस परियोजना में रूचि लेने वाली किन्हीं अन्य निजी एजेंसियों/विश्वस्तरीय कंपनियों द्वारा किया जाता तो बेहतर ढंग से निष्पादित हो सकता था। समिति आशा करती है कि परियोजना चयन के लिए अपनाई जाने वाली संशोधित रणनीति को देखते हुए चरण-II में बीएसएनएल और पीजीसीआईएल के निष्पादन में सुधार होगा। साथ ही समिति उन कारणों को जानना चाहती है जिनके आधार पर कुछ राज्यों में चरण-II के कार्यान्वयन के लिए फिर से बीएसएनएल और पीजीसीआईएल को चुना गया। समिति चाहती है कि सीपीएसयू के लिए लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर "दण्ड खंड" जैस कड़े तरीके भी अपनाने चाहिए। विभाग को लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में सीपीएसयू के निष्पादन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सीपीएसयू आधारित मॉडल के चरण-II के अंतर्गत सीपीएसयू मॉडल के तहत 10 राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें से 8 राज्य नामत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और जम्मू एवं कश्मीर की 45,454 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल को आवंटित किए गए हैं। पीजीसीआईएल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की 8700 ग्राम पंचायतें आवंटित की गई हैं। तथापि, चरण-I के अंतर्गत हुए खराव निष्पादन को ध्यान में रखते हुए चरण-II के तहत रेलटेल को कोई भी ग्राम पंचायत आवंटित नहीं की गई है।

चरण-।। के तहत बीएसएनएल का चयन चरण-। में हुए कार्यनिष्पादन के आधार पर किया गया है। इसने चरण-। में एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा ही नहीं किया बल्कि चरण-।। में भी बीएसएनएल ने अब तक 110 ग्राम पंचयातों में कार्य पूरा कर लिया है और 41041 ग्राम पंचायतों में कार्य का ठेका दे दिया है।

दूसरी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भूमि के ऊपर (ओवर हेड) ओएफसी बिछाने के लिए भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पीजीसीआईएल का चयन किया गया है क्योंकि इसे भूमि के ऊपर केबल बिछाने में विशेषज्ञता प्राप्त है।

परियोजना को समय पर कार्यान्वित करने के लिए कड़े उपायों के रूप में परियेाजना कार्यान्वयनकारी एजेंसी एवं अन्य वेंडर/ठेकेदार के चयन के लिए दी गई संविदा में दंड लगाने की शर्त रखी गई है और सीधे तौर पर दंड का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार अपने राजयों में परियेाजना के निष्पादन हेतु आगे नहीं आए है और न ही कोई रूचि दर्शाई है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

<u>दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा भारतनेट की उपयोगिता</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-15)

समिति को सूचित किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारतनेट की उपयोगिता में रूचि दिखाई है और जी.पी. के लगभग 70000 स्थानों पर अपनी अवसंरचना स्थापित कर रहे हैं। वे जीपी के लगभग 63000 स्थानों जैसे एयरटेल(30,500 जीपी), रिलायंस जीओ (30000 जीपी) वोडाफोन (2000 जीपी) और आइडिया (1000 जीपी) मुख्यत: अपनी 4जी/एलटीई सेवाओं के लिए उपयोग करेगें। लगभग 16000 स्थानों पर भागीदारी होगी जहां पहले ही चरण में जी.पी को ब्लॉक करने के लिए बीबीएनएल डार्क फाइबर उपलब्ध है। परिस्थिति तंत्र को सक्रिय करने और उपयोगिता के संवर्धन के लिए भारतनेट कनेक्टिविटी का प्रशुल्क बाजार भाव से कम रखा गया है इसके अतिरिक्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा फील्ड स्तर सर्वेक्षण को बीएसएनएल की सहायता से सुकर बनाया जा रहा है। समिति नोट करती है कि भारतनेट अवसंरचना के उपयोग से अभी तक 9,07,98,296 रू. की राशि अर्जित की जा चुकी है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) जैसे रिलायंस जीओ, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया द्वारा भारतनेट के उपयोग हेतु 17,85,99,780 रू. का अग्रिम भुगतान किया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि एयरटेल ने 295 जी.पी पर वेंडविर्थ के लिए आवेदन किया है जिसका वार्षिक राजस्व 5,13,89,000 रू. है। किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का यह मत है कि भारतनेट की उपयोगिता की स्थिति अभी भी काफी कम है और इसकी पूर्ण क्षमता के प्राप्त करने के लिए अभी और ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसजी), केबल टी.वी ऑपरेटर विषय वस्तु प्रदाताओं सहित एक्सेस प्रदाताओं/सेवा प्रदाताओं के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं आरम्भ करने के लिए भारतनेट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शीघ्रतिशीघ्र आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

बीबीएनएल द्वारा अखिल भारत अंतिम मील कनेक्टिविटी संबंधी टेंडर खोल दिया गया है। बीबीएनएल के बैंडविड्थ एवं डार्क फाइबर की उपलब्धता के बारे में टीएसपी/आईएसपी/केबल टीवी ऑपरेटरों को बताने तथा इसके अलावा भारतनेट का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों में सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु उनके साथ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय टीएसपी/आईएसपी/केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ राज्य स्तर पर भी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे है। टर्म सेल, दूरसंचार विभाग की सहायता से 10.08.2018 को एक ऐसा ही सम्मेलन उत्तर प्रदेश (पूर्वी) में आयोजित किया गया है जिसमें 22 प्रचालकों/ आईएसपी ने हिस्सा लिया है। दूसरे राज्यों में ऐसे ही सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। राज्यों में नेटवर्क का उपयोग बढाने के लिए 17 दिसंबर 2018 को सभी राज्यों के साथ सम्मेलन आयोजित किया गया है।

दिनांक 03.10.2018 को टेंडर निकाला गया है तथा इसे 25.10.2018 को खोला गया है। बोली-दाताओं ने 42 पैकेजों में हिस्सा लिया। वित्तीय बोली 16.11.2018 को खोली गई। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पंजाब, हरियाणा तथा ओडिशा राज्यों के लिए टीसीआईएल को एपीओ जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 25000 ग्राम पंचायतों, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के सभी ग्राम पंचायतों तथा कर्नाटक के करीब 3407 ग्राम पंचायतों को अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सीएससी को कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है।

इसके अलावा बीबीएनएल ने शेष ग्राम पंचायतों में एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया है तथा 61953 ग्राम पंचायतों में कार्य के लिए मैसर्स टीसीआईएल को एपीओ जारी किया गया है।

अब तक 11134 ग्राम पंचायतों को वाई फाई कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I। दिनांक 20.02.2018)

बीएसएनएल द्वारा भारत नेट का उपयोग

(सिफारिश क्रम संख्या-16)

समिति नोट करती है कि बीएसएनएल के लगभग 1,15,504 उपयोगकर्ता भारतनेट की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। बीएसएनएल 8558 एफटीटीएच कनेक्शन, 1658 वाईफाई कनेक्शन और 146.83 कि.मी. फाइबर लाइन प्रदान करने के लिए पांच राज्यों में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए भारतनेट अवसंरचना का उपयोग कर रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल, एफटीटीएच, ब्रॉडबैंड, वाई-फाई, हॉट-स्पाट, डार्क फाइबर और बैंडविड्थ का उपभोक्ताओं, टीएसपी, आईएसपी, एमएसओ, ओएसपी तक विस्तार कर भारतनेट का उपयोग करने का इरादा रखता है। समिति यह नोट करती है कि भारतनेट उपयोग कर एफटीटीएच कनेक्शनों से बीएसएनएल द्वारा अर्जित राजस्व का बीएसएनएल और बीबीएनएल के बीच क्रमश: 70:30 के आधार पर बटवारा होता है। समिति को यह भी बताया गया कि चूंकि भारतनेट बीएसएनएल के मौजूदा फाइबर का उपयोग करता है अत: बीबीएनएल और बीएसएनएल के बीच राजस्व बटवारे के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है जिसके अनुसार बीएसएनएल भारतनेट का बेरोक टोक उपयोग कर अपनी सेवाएं जैसे वाई-फाई, हॉट-स्पाट, मोबाइल ब्रॉडबैंड/एफटीटीएच लीज लाइन, इंटरनेट लीजलाइन आदि सेवाएं प्रदान कर सकता है। बीएसएनएल ने सभी सर्कलों के एसएसए प्रमुखों को निदेश दिया है कि वे अपने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों से संपर्क करें और उन्हें डिजिटल इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भारतनेट की सेवाओं के बारे में अवगत कराएं। समिति का मत है कि बीएसएनएल के पास भारतनेट परियोजना में भागीदारी कर और अपनी अवसंरचना का उपयोग कर अपने कारोबार अवसरों का विस्तार करने की अपार संभावना है। समिति सिफारिश करती है कि बीएसएनएल को भारतनेट अवसंरचना के इष्टतम उपयोग हेतु सार्थक प्रयास करने चाहिएं। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए।

सरकार का उत्तर

बीएसएनएल को भारतनेट अवसंरचना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयर करने का भी अनुबंध किया गया है जिसमें बीबीएनएल का शेयर केवल 30 प्रतिशत रखा गया है जबकि बीएसएनएल का शेयर 70 प्रतिशत रखा गया है। दिनांक 02.01.2019 की स्थिति के अनुसार अब तक बीएसएनएल द्वारा किया गया उपयोग निम्नानुसार है:

क. वाई-फाई हॉटस्पाट: 1873

ख: बीएसएनएल द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान किए गए कुल एफटीटीएच कनेक्शन: 15,240 हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल द्वारा 86452 एफटीटीएच कनेक्शन इनका अनुभव प्राप्त करने और परीक्षण के लिए प्रदान किए गए हैं।

ग. बीएसएनएल द्वारा फाइबर का उपयोग: बीटीएस कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 749.10 कि.मी. फाइबर बिछाई गई है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I। दिनांक 20.02.2018)

<u>भारतनेट से प्रक्षेपित राजस्व</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-17)

समिति को सूचित किया गया है कि आरंभ में बीबीएनएल की अवधारणा प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) पर 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए की गई थी। इसमें टीएसपी, आईएसपी, एमएसओ आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डार्क फाइबर के प्रावधान सहित चरण-।। में ओएफसी पर 1जीपी की बढोतरी की गई है। नेटवर्क की उपयोगिता में बढ़ोतरी करने और राजस्व में वृद्धि के लिए बीबीएनएन ने अनेक उपाए किए हैं, जैसे गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण पर बल देना, राजस्व बटवारे के आधार पर सेवा प्रावधान करने हेतु बीएसएनएल के साथ समझौता करना, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभागों, डाक विभाग के साथ संपर्क स्थापित करना, संस्थाओं के लिए दिशांत कनेक्टिविटी हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना, सभी सेवा प्रदाताओं को बिना भेदभाव के आधार पर सभी सेवाएं प्रदान करना और वाई-फाई हॉट-स्पाट की स्थापना करना। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित कार्यान्वयन रणनीति के अनुसार, मार्च 2024 तक अर्थात मार्च 2019 तक परियोजना के पूरा होने के 5 वर्षों के पश्चात, परियोजना के राजस्व तटस्थ होने की आशा है। 2.50 लाख जीपी को कनेक्टिविटी प्रदान कर मुख्य राजस्व, बैंडविड्थ और डार्क फाइबर के प्रावधान से प्राप्त होने का अनुमान है। समिति का मत है कि सरकारी क्षेत्रों सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा नेटवर्क का सक्रिय उपयोग करके ही प्रर्याप्त राजस्व अर्जित किया जा सकता है। समिति को सूचित किया गया है कि इस समय प्रत्याशित राजस्व की सही गणना करना संभव नही है क्योंकि इसमें मांग, सेवाओं का बाजार मूल्य और उपयोगकर्ताओं के वाणिज्यिक माडॅल का मिश्रण होता है। तथापि, बीबीएनएल ने यह परिकल्पना की है कि डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करके और ई-सेवाओं की ओर बढ़ते हुए विभिन्न टीएसपी, आईएसपी, एमएसओ, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभागों आदि से पर्याप्त मांग होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतनेट को बहुत ऊंची लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है, यह आशा की जाती है कि इससे पर्याप्त राजस्व का सृजन होगा ताकि लंबे समय तक यह व्यवस्था टिकाऊ और आर्थिक रुप से व्यवहार्य भी बनी रहे। अत: समिति यह चाहती है कि विभाग भारतनेट के संबंध में एक समुचित-कारोबार-योजना तैयार करे जिससे यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण और बैंडविड्थ अपेक्षा को ही पूरा करेगा अपितु राजस्व भी अर्जित होगा।

सरकार का उत्तर

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, 3 वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहायता का प्रावधान किया गया है जिसके बाद यह आशा है कि चूंकि फाइबर ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक बिछाया जा रहा है, अत: सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबरों को पट्टे पर देकर तथा सेवाएं प्रदान करके यह नेटवर्क स्वधारणीय होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने भी राज्य-प्रचालित मॉडल के अंतर्गत उपयोग एवं कारोबार संबंधी योजनाएं प्रस्तुत की हैं ।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

<u>भारतनेट चरण-III</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-21)

समिति को सूचित किया गया है कि परियोजना का चरण-III भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेटवर्क में सुधार करने की प्रकृति का होगा। रिंग आर्किटेक्चर में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने के लिए प्रावधान किया जा रहा है जिससे कि 5जी सेवाओं,इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के लिए बैकहॉल तथा उपयुक्त नेटवर्क प्रदान किया जा सकेगा। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि रिंग टोपो लोजी से ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु 17,11,000 कि.मी. की कुल लंबाई की ओएफसी बिछानी होगी तथा एनओएफएन समिति द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के अनुसार इस परियोजना को लागू करने के लिए लगभग 72,778 करोड रुपये के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। समिति का मत है कि वर्तमान आर्किटेक्चर की सबसे मूलभूत चुनौती यह है कि वर्तमान ढांचा ब्लाक से ग्राम पंचायतों तक लीनियर टोपोलॉजी पर आधारित है जिससे वह सेवा प्रदाताओं तथा बैंडविड्थ उपयोगकर्त्ताओं को स्वीकार्य भरोसा दिलाने में सक्षम नहीं होगा। इस मुद्दे को हल करने के लिए एनओएफएन समिति ने सुझाव दिया है कि जिला मुख्यालयों तथा ब्लॉक मुख्यालयों के बीच रिंग टोपोलोजी में नई ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई जाएं। तथापि, समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि 19.07.2017 को अनुमोदित मंत्रिमंडल नोट के तहत चरण-III को शामिल नहीं किया गया तथा इसे बाद में शामिल किया जाएगा। समिति का यह मानना है कि परियोजना के चरण-III का स्वरुप चरण-I और चरण-II के मुकाबले बहुत बड़ा एवं विस्तृत है। जब विभाग द्वारा इतने वृहत स्वरुप की परियोजना को लागू किया जाता है तो इसके लिए अग्रिम योजना तथा लागू करने संबंधी नीति तैयार की जानी चाहिए। समिति सुझाव देती है कि सभी आवश्यक कार्य, जैसे कि सर्वेक्षण, योजना, नेटवर्क डिजाइन, लागू करने संबंधी कार्यनीति को बहुत पहले से ही तैयार कर लिया जाना चाहिए तथा विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी से जल्द से जल्द अनुमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

सरकार द्वारा चरण-III को अनुमोदित किए जाने के पश्चात, कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कार्यनीति के अनुसार, सर्वेक्षण, आयोजना, नेटवर्क का डिजाईन, कार्यान्वयन की कार्यनीति जैसी अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहती।

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

<u>ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सम्पर्क</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-3)

समिति नोट करती है कि समिति को सूचित किया गया है कि कार्यान्वयन एजेन्सियों के चयन के लिए बीबीएनएल ने निविदाएं मांगी हैं। समिति नोट करती है कि सीएसएसपीवी को उत्तर प्रदेश में 25,000 ग्राम पंचायतों और हिमाचल प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई, हॉट-स्पॉट स्थापित करने का अनुबंध दिया गया है। राजस्थान के सभी 10,000 ग्राम पंचायतों की वाई-फाई सेवाएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कवर की जा रही हैं। इसके अलावा 5298 ग्राम पंचायतों में जिसे सैटेलाइट मीडिया द्वारा कवर किए जाने की योजना है, वाई-फाई सेवाएं भी उसी एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जो ग्राम पंचायतों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा समिति नोट करती है कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपने 25,000 टेलीफोन एक्सचेन्जों में सार्वजनिक वाई-फाई स्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अन्तर्गत सीएससी-एसपीवी द्वारा 5,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई चौपाल स्थापित किया जाना है।

एक स्पष्ट चूक जो समिति के ध्यान में आई है वह यह है कि आरम्भ में अनुमोदित मंत्रिमंडल नोट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी भारतनेट के क्षेत्र में नहीं थी और यह प्रावधान मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जुलाई 2017 में अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त अवलोकन से यह नोट किया जा सकता है कि सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई है, चूँकि, 1,09,099 ग्राम पंचायतों को 1 मई, 2017 तक सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है, समिति का यह सुविचारित मत है कि अब इन सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के उपयोग और प्रदान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूँकि बीएसएनएल ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के चयन के लिए निविदाएं मंगाई है, समिति निविदा की स्थिति और इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहेगी। समिति चाहती है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत उन ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट की स्थापना पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उन्हें एसएजीवाई के अन्तर्गत स्थापित वाई-फाई हॉट-स्पॉटों का राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण से अवगत कराया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि वाई-फाई हॉट-स्पॉट की स्थापना करते समय ग्राम स्तर के उद्यमियों की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और राजस्व का सृजन किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को जहां कहीं भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है वहां इसके प्रभाव के आकलन के लिए अध्ययन भी करवाना चाहिए और इस पहल के साथ स्थानीय सांसदों को संबद्ध करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

प्रारंभ में, एनओएफएन परियोजना (अब भारतनेट) को मध्यम छोर तक की कनेक्टिविटी के लिए अवसरंचना उपलब्ध कराने हेतु परिकल्पित किया गया था और सेवा प्रदाता को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच में सेवा उपलब्ध कराने के लिए सृजित एन/डब्ल्यू का उपयोग करना था। तथापि, यह देखते हुए कि सेवा प्रदाता नेटवर्क का उपयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो भारतनेट के कार्यक्षेत्र में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए सीएससी ने उत्तर प्रदेश (फेज़-I में 25,000 ग्राम पंचायतों,) हिमाचल प्रदेश (सभी ग्राम पंचायतों) और कर्नाटक (3407 ग्राम पंचायतें) और त्रिपुरा (सभी ग्राम

पंचायतों) में वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित करने के लिए सीएससी को चुना गया है। इसके अलावा, राजस्थान में वाई-फाई सेवाएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा, वाई-फाई के माध्यम से शेष ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए, बीबीएनएल ने कार्यान्वयन एजेंसियों का चुनाव करने के लिए निविदा जारी की है। उत्तराखण्ड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए टीसीआईएल को 61953 ग्राम पंचायतों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है।

उपरोक्त कनेक्टिविटी में संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना है।

उपर्युक्त पैरा 1 में, उल्लेख के अनुसार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं त्रिपुरा नामत: 4 राज्यों में सीएससी कार्यान्वयन एजेंसी है जो 32,828 स्थानों में फैली हुई है और ग्राम स्तर के उद्यमी के रूप में कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और राजस्व सृजित किया जा सके।

केरल में भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए आईआईएम कोज़ीकोड के माध्यम से प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को परियोजना का कार्यान्वयन होने पर किया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी स्थापित होने पर संसद सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा और ग्राम पंचायतों में सामुदायिक ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जा रहा है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा 8 देखें)

<u>परियोजना में राज्यों की भागीदारी</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-7)

समिति को यह सूचना मिली है कि परियोजना के चरण-I के आयोजन तथा कार्यान्वयन में इसके महत्वपूर्ण सहभागी राज्यों की भागीदारी न होने से राज्य परियोजनाओं के स्वामित्व से दूर हुए हैं जिसके कारण इसके विकास की गति धीमी हो गई है और साथ ही अवसंरचना का उपयोग न होने का जोखिम भी है। परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, अनुरक्षण तथा अवसंरचना के उपयोग में राज्यों की उचित भागीदारी न होने के कारण परियोजना सभी चरणों में प्रभावित होती है। समिति ने नोट किया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक संशोधित नीति के तहत इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 8 राज्यों यानि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलगांना तथा तमिलनाडु के 61523 ग्राम पंचायतों में स्टेट लैंड मॉडल के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान कराई जाएगी। इस मॉडल के अंतर्गत राज्य भूमिगत और उपरि ऑप्टिक फाइबर केबल तथा रेडियो केबल बिछाने के कार्य का उत्तरदायित्व संभालेंगें। इसके अलावा राज्यों का यह भी उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा परियोजना के जीवन पर्यन्त नेटवर्क प्रबंधन परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य संभालना श्रेयस्कर होगा। भारतनेट परियोजना का स्वामित्व नियंत्रण तथा प्रबंधन और इन राज्यों में परियोजना पर केन्द्र के नियंत्रण के संबंध में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), राज्यों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें सारे पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है और इसलिए, केन्द्र तथा राज्यों के बीच अपने हित के लिए किसी टकराव की कोई

संभावना नहीं है। ये आस्तियां भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड/दूरसंचार विभाग के स्वामित्व में राष्ट्रीय आस्तियां होगी। किए गए विकास के संबंध में समिति ने नोट किया कि सभी राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दूरसंचार आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है। रू. 877.57 की अग्रिम राशि जो कि कैपेक्स का 10 प्रतिशत है, भी सभी राज्यों को प्रदान कर दी गई है। इस मॉडल की एक प्रमुख विशेषता निर्णय लेने की क्षमता का विकेन्द्रीकरण है। सभी परिचालन संबंधी निर्णय मुख्य सचिव की अगुवाई वाली राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) द्वारा लिए जाएगें। महाराष्ट्र का एक उदाहरण देते हुए, समिति को यह सूचित किया गया कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक कार्यपद्धति की स्वीकृति दी थी जिससे भारतनेट के लिए आरओडब्ल्यू से संबंधित किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति आशा करती है कि सभी 8 राज्यों में एसएलआईसी का गठन कर लिया गया होगा। समिति यह भी आशा करती है कि परियेाजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से न केवल तीव्र कार्यान्वयन होगा बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का अधिक उपयोग भी होगा। समिति चाहती है कि उन्हें इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसके अंतर्गत एक राज्य अर्थात महाराष्ट्र द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अन्य सभी राज्यों द्वारा भी साझा किया जाए।

सरकार का उत्तर

राज्य कार्यान्वयन मॉडल के अंतर्गत सभी 8 राज्यों में संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) का गठन कर दिया गया है।

परियोजना के चरण-।। की स्थिति **(अनुबंध-।)** के रूप में संलग्न है।

राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यविधि को अन्य राज्यों में साझा करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन सीजीओ कॉम्पलैक्स, दिल्ली में दिनांक 09.12.2017 को किया गया था, जिसमें राज्य आधारित मॉडल को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया था। इसी प्रकार की एक अन्य कार्याशाला का अयोजन स्कोप कॉम्पलैक्स, दिल्ली में दिनांक 16 सितम्बर 2018 को भी किया गया था जिसमें संबंधित राज्यों/सीपीएसयू द्वारा उपयोग में लाई जा रही सर्वोत्तम कार्यविधियों को साझा करने के लिए बीबीएनएल के सभी राज्य प्रधानों ने भाग लिया था। इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन भविष्य में भी किया जाएगा ताकि राज्यों के बीच किसी राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यविधि को साझा किया जा सके।

इसके अलावा सभी राज्यों में नेटवर्क के कार्य निष्पादन और उपयोग के लिए सुविधा हेतु राज्य की संबद्धता सुनिश्चित की जा रही है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2019)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 11 देखें)

रेलटेल का निष्पादन

(सिफारिश क्रम संख्या-10)

समिति नोट करती है कि संशोधित लक्ष्य के अनुसार जिसमें 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है रेलटेल का गुजरात, दादर और नगर हवेली दमन और दीव, पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम) पूर्वोत्तर राज्य-।। (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर) और पुडुचेरी में 10782 ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है। समिति को सूचित किया गया है 10782 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 8203 ग्राम पंचायतों में ओएफसी बिछाई गई है, 6459 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह ओएफसी से कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है, 5493 ग्राम पंचायतों को यह सेवा प्रदत्त कर दी गई है, 3157 ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू कर दी गई है और पुडुचेरी में यह काम पूरा हो चुका है। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार समिति ने नोट किया कि प्रथम चरण में मई 2018 को जबकि बीएसएनएल और पीजीसीआईएल ने अपने 96.56 प्रतिशत और 83.71 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए रेलटेल के संबंध में यह लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत 78.13 रहा। समिति ने नोट किया कि गुजरात में इन लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी का कारण आरओडब्ल्यू अनुमतियां हासिल करने में कठिनाईयों, बीएसएनएल द्वारा अव्यवहार्य एफपीओआई देना और बीएसएनएल द्वारा रख-रखाब कार्य में देरी रहा।

समिति ने नोट किया कि प्रथम चरण के अंतर्गत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रेलटेल का कार्यानिष्पादन कार्यान्वयन सबसे खराब था और इसे दृष्टिगत रखते हुए रेलटेल को अगले चरण में कोई काम नहीं दिया गया है। रेलटेल के लिए सबसे सान्तवनापद बात यह रही कि पुडुचेरी का काम पूर्ण हो चुका है। चूकिं अधिकांश मुद्दे गुजरात में हल किए गए है इसलिए समिति आशा करती है कि रेलटेल ने अब तक 6411 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य हासिल कर लिया होगा क्योंकि लक्षित समय जून 2018 था। समिति चाहती है कि समय-सीमा के अनुसार सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए और समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

रेलटेल ने जून, 2018 को भी लक्ष्यो को प्राप्त नहीं किया है। वर्तमान में लगभग 57% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं जबकि गुजरात राज्य में चरण-। के अंतर्गत लगभग 6376 ग्राम पंचायतों में से लगभग 79% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में चरण-। के अंतर्गत कुल 4275 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से केवल 938 ग्राम पंचायतें अर्थात लगभग 22% ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। रेलटेल के साथ अनेक बैठकें की गई हैं। शीघ्रता से कार्य पूरा करने के लिए रेलटेल पर दबाव डाला जा रहा है। जिन स्थलों पर रेलटेल ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है उन स्थलों को सेटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार अद्यतन स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

पूर्वोत्तर में रेलटेल का निष्पादन

सिफारिश क्रम संख्या - 11

समिति ने नोट किया कि चरण-I के तहत एनई-1 (त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम) और एनई-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर) में 4273 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम रेलटेल को आवंटित किया गया था। समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण के काम के कारण बिछाई गई केबलों को भारी नुकसान, बार-बार भूस्खलन, पहाड़ी इलाके, भारी बारिश के कारण 5 महीने से भी कम कामकाजी मौसम, लगातार अवरोध और बंद अदि पूर्वोत्तर की कुछ वास्तविक रूकावटे है। पूर्वोत्तर में एक और बड़ी समस्या जिलों और ब्लॉकों के बीच कमजोर ओएफसी लिंक है और इसे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत है। समिति ने नोट किया कि दूरसंचार आयोग के निर्णय के अनुसार टीसीआईएल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन कमियों का समाधान करने के लिए अध्ययन करने और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ताकि ग्राम पंचायतों तक विश्वसनीय उच्च गति नेटवर्क निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। जनवरी, 2012 में रेलटेल को जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बीच ऑप्टिकल फाइबर के विस्तार के लिए परियोजना का कार्य भी सौंपा गया था। हालांकि, दोनों परियोजनाओं में रेलटेल का निष्पादन बेहद खराब रहा है। समिति को अब सूचित किया गया है कि पूर्वोत्तर में 4273 ग्राम पंचायतों में से 1900 ग्राम पंचायतों को मार्च 2018 तक जोड़ दिया जाएगा और शेष ग्राम पंचायतों को 12 कार्य सत्रों में जोड़ दिया जाएगा।

यह पूर्णत: स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न वास्तविक रुकावटों से प्रभावित है और वह इस रूप में देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। परियोजना के चरण एक की कार्यान्वयन रणनीति की प्रमुख रूकावट में से एक रेलटेल को पूर्वोत्तर राज्यों का आवंटन था, जहां अन्य राज्यों की तुलना में इसकी कम से कम मौजूदगी है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रेलटेल का निष्पादन निराशाजनक रहा। यह भी चिंता का विषय है कि विभाग और रेलटेल कार्यान्वयन रणनीति से जूझ रहे थे और मार्च 2018 के अंत में, आईजोल बैठक के बाद, ओपीजीडब्ल्यू को एसईबी संगत पावर लाइनों और शेष को एडीएसएस और एसईबी पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता को सही ढंग से महसूस किया गया था। तथापि, दूरसंचार विभाग से औपचारिक मंजूरी मिलना अभी शेष है। समिति आशा करती है कि अब तक रेलटेल को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी होगी। समिति का मानना है कि कार्यान्वयन रणनीति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है ताकि पूर्वोत्तर में परियोजना के कार्य की गति में तेजी लाया जा सके। समिति को आईजोल बैठक के बाद, पूर्वोत्तर में कार्यान्वयन रणनीति की गति में तेजी लाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों से अवगत कराया जाए समिति यह भी सिफारिश करती है कि टीसीआईएल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अध्ययन करना चाहिए और कमियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द अध्ययन करना चाहिए और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और समय पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए रेलटेल, टीसीआईएल और बीबीएनएल के अधिकारियों के बीच आवधिक समन्वय बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और यदि संभव हो, नो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इन निकायों के अधिकारियों की एक कोर कमिटी का गठन किया जाए।

सरकार का उत्तर

टीसीआईएल को पूर्वोत्तर के नेटवर्क का अध्ययन करने तथा तथा ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ओएफसी नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए एक दीर्घावधिक व्यापक योजना प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। टीसीआईएल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। रेलटेल को पहले ही सहमति प्रदान कर दी गई है कि वे(एडीएसएस) केबल के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित करें।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 15 देखें)

राइट-आफ वे (आरओडब्ल्यू) मामले

(सिफारिश क्रम संख्या-19)

समिति यह नोट करती है कि भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 भूमिगत (ऑप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर की आधार अवसंरचनाओं (मोबाइल टॉवरों) के निर्माण के मामले दोनों मे ही मार्गाधिकार की अनुमति प्रदान करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से बनाए गए है। समिति को सूचित किया गया है तमिलनाडु सहित जिसने हाल ही तक जब वे राज्य-मॉडल के रुप में आया था, तब तक मार्गाधिकार नहीं दिया है, अन्य सभी राज्यों के साथ राइट-आफ-वे (मार्गाधिकार) समझौतों को अंतिम रुप दिया गया है। विभाग ने यह बताया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 और उन पर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप अपनी मार्गाधिकार नीतियां बनाने का अनुरोध किया गया है। अभी तक सात राज्यों अर्थात हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और झारखंड ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियां/आदेश समेकित किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 के समुचित कार्यान्वयन के उपरांत केबल बिछाने हेतु मार्गाधिकार संबंधी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा। अभी तक केवल दो मंत्रालयों ने ही आंशिक रुप से अपनी नीतियों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मार्गाधिकार नियम, 2016 के साथ संरेखित किया है, रेल मंत्रालय ने केवल भारतनेट -परियोजना और पोत-परिवहन मंत्रालय ने भारतनेट-और स्पेक्ट्रम-परियोजना नेटवर्क के साथ इसका संरेखन किया है। तथापि, उक्त प्रयासों के बाद भी 1 मई, 2018 को 296 मार्गाधिकार संबंधी मामले लंबित थे जिनका 1241 ग्राम पंचायतों पर प्रभाव पड़ रहा है। मार्गाधिकार संबंधी मामलों को निपटाने के लिए बीबीएनएल राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। समिति को यह भी सूचना दी गई है कि रेलवे ने मार्गाधिकार संबंधी अनुमति प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाया है और वनों, एनएचएआई और तेल तथा गैस एजेंसियों के मामले में ऐसा कोई तंत्र नहीं है।

कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव में परियोजना के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति में आ रही बाधा के मद्देनजर, समिति का यह मत है कि सिंगल विंडो-क्लीयरेंस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर ही किसी परियोजना को सुचारु ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग/बीबीएनएल को इस मामले को राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाना चाहिए ताकि वे भी रेलवे की भांति मार्गाधिकार अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बना सकें। साथ ही बीबीएनएल को मार्गाधिकार के विलंबित 296 मामले निपटाने के लिए राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए ताकि 1241 ग्राम पंचायतों में काम पूरा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और प्रगति करने के उद्देश्य से बीबीएनएल मार्गाधिकार अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अन्य राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले को उठा रहा है तथा इसके अतिरिक्त बीबीएनएल राज्य और केन्द्रीय अभिकारणों के साथ लंबित मुद्दों कासमाधान करने का भी प्रयास कर रहा है। कुछ समय से केन्द्रीय अभिकरणों के साथमार्गाधिकार से संबंधित मामलों की संख्या कम/संशोधित हुई है तथा इसकी स्थिति को अनुबंध-V में दर्शाया गया है और अनुबंध को संलग्न भी किया गया है। लंबित मामलों की कुल संख्या काफी कम हो गई है और दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 115 है जिसका प्रभाव 481 ग्राम पंचायतों पर पड़ रहा है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I। दिनांक 20.02.2018)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 18 देखें)

<u>राष्ट्रीय समान-डक्ट नीति</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-20)

समिति ने यह बताया कि अक्सर होने वाली कटौतियों और केबल के नुकसान से बचने तथा कार्य को आसन बनाने तथा पुर्नस्थापना लागत को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को केबल बिछाने के लिए एक समान डक्ट तैयार करना चाहिए। समिति को सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों द्वारा समान डक्ट प्रणाली का उत्तरोतर प्रयोग किया जा रहा है। विभाग ने समिति को अब यह सूचित किया है कि सभी कंपनियों के लिए समान डक्ट नीति तथा मार्गाधिकार अनुमति तैयार करने के उद्देश्य से सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता मे सचिवों के एक समूह का गठन किया गया है। अभी तक दिनांक 23.02.2018 और दिनांक 05.04.2018 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं।इस नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

समिति का यह मत है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा केबल डाले जाने के लिए समान डक्ट नीति को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इस प्रकार से बार-बार होने वाली खुदाई के कारण न केवल तार (केबल) के कटने तथा खराब होने को कम किया जा सकेगा बल्कि लंबे समय से चले आ रहे आरओडब्ल्यू मुद्दों का भी समाधान किया जा सकेगा। समिति का यह मानना है कि इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों से सहयोग तथा सामंजस्य की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें साझा योजना एवं क्रियान्वयन की जरुरत है। अत: समिति चाहती है कि समान डक्ट नीति का मसौदा जिसे अभी तैयार किया जा रहा है को जल्द से जल्द अंतिम रुप दिया जाए तथा शीघ्रातीशीघ्र इस संबंध में कुछ पायलट परियोजनाएं भी शुरु की जाए जिससे कि इस नीति के प्रभाव को आंका जा सके तथा समिति को उसके अनुरुप सूचित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलंब और लागत में वृद्धि से संबंधित मुद्दे की समीक्षा दिनांक 30.01.2018 को माननीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में हुई अवसंरचना समूह की छठी बैठक में की गई थी। अपेक्षित अनुमोदनों की बहुलता और समान नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए सचिव (आरटीएच), सचिव (ऊर्जा), सचिव (पेट्रोलियम) तथा सदस्य (इंजीनियरी) तथा रेलवे बोर्ड को सदस्य के रुप में शामिल करके सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया जाए। उक्त समिति को उपयोग के लिए समान डक्ट, राजमार्ग मीडियन/मौजूदा मार्गाधिकार पर रेलवे अवसंरचना का विकास करने की संभावना, रेलमार्गों और राजमार्गों दोनों के लिए समान टनल और पुल का उपयोग करने जैसी समान एकीकृत अवसंरचना का विकास करने की संभावना तलाशने का अधिदेश दिया गया है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, संचार मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों के मध्य समान सुविधाओं को साझा करने के लिए प्रभार की माफी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की भी जांच की जाएगी। तदनुसार, उच्च अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 23.02.2018 तथा दिनांक 05.04.2018को आयोजित की गई अपनी बैठक में उपर्युक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। प्राप्त इनपुट और किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, उच्च अधिकार-प्राप्त समिति की रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे सचिव (दूरसंचार विभाग) के दिनांक 06.07.2018 के अ.शा. पत्र के माध्यम से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 21 देखें)

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का निष्पादन

(सिफारिश क्रम संख्या-9)

समिति नोट करती है कि पावर ग्रिड के संपूर्ण कार्य क्षेत्र में 28,589 कि.मी. मार्ग वाले 10,440 ग्राम पंचायतें अर्थात हिमाचल प्रदेश (252 जीपी), तेलंगाना (1942 जीपी), झारखंड (2713 जीपी), ओडिशा (3860 जीपी) और आंध्र प्रदेश (1673 जीपी) शामिल हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में समिति नोट करती है कि पीजीसीआईएल ने 7242 जीपी अर्थात लक्ष्य के 69 प्रतिशत को सिरे से सिरे तक ओएफसी कनेक्टिविटी प्रदान की है। समिति को सूचित किया गया कि पावर ग्रिड का0 ऑफ इंडिया गुजरात में चरण-। के लक्ष्य जून 2018 तक पूरे कर लेगा। समिति को आशा है कि पावर ग्रिड का0 ने गुजरात में अपने लक्ष्य अवश्य पूरे कर लिए होंगे। चरण-।। के अंतर्गत 8700 जीपी, हिमाचल प्रदेश में 2994 जीपी और उत्तराखंड में 5706 जीपी हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के चरण-।। के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में समिति ने नोट किया कि उत्तराखंड में पावर ग्रिड ने बिजली के खभों के सर्वेक्षण का काम सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के पश्चात ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के संबंध में दूरसंचार आयोग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन राज्यों में जहां पीजीसीआईएल द्वारा काम किया जा रहा था, समिति ने नोट किया और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को हवाई ओएफसी केबल से जोड़ा जाए। इसके आगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों के साथ चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे जिसमें बिजली संवितरण लाईनों की आधारभूत संरचना को एक दूसरे के साथ हिस्सेदारी में उपयोग करने का प्रावधान होगा। समिति ने नोट किया कि इस चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करके उन-उन राज्यों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दिया गया है। तथापि राज्य सरकारों से इस संबंध में टिप्पणिया अभी आनी शेष हैं।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम चरण का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद नहीं रहा। कंपनी ने यह कहा है कि ऐसा कई बाधाओं के कारण हुआ। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ा विकासात्मक कार्य बीएसएनएल द्वारा एफपीजीआई की पहचान में देरी, वामपंथी कट्टरवाद, गम्भीर आरओडब्ल्यू मुद्दे आदि मुख्य हैं। इस परियोजना कार्य को प्रारम्भ करने से बहुत पहले इन बाधाओं/कारकों संबंधी सूचना स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। परियोजना कार्यान्वयन कार्य के मध्य, इन सभी मुश्किलों की सूचना, से यह इंगित होता है कि कंपनी ने परियोजना को चालू करने हेतु पहले से कोई पर्याप्त योजना नहीं बनाई। समिति इस तथ्य से अवगत है कि पीजीसीआईएल को प्रथम चरण के लक्ष्यों को पूरा करना बाकी है। यहां तक कि दूसरे चरण के कई मुद्दों को सुलझाया जाना बाकी है, जैसे उत्तराखंड हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और स्वीकृत दो राज्य सरकारों द्वारा चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर अपनी टिप्पणियां देना तथा दो राज्यों के साथ बिजली वितरण लाईनों को इस्तेमाल करने संबंधी समझौता ज्ञापन। समिति को आश्वासन दिया गया है कि दोनों राज्यों ने ऊपर से निकलने वाली तारों के संबंध में रास्ता देने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की है। समिति ने पाया कि समिति को दिए गए आश्वासनों को देखते हुए किसी तरह के बहानों को नहीं सुना जाना चाहिए। इन आश्वासनों को देखते हुए समिति जानना चाहती है कि दोनो राज्यों में प्रथम चरण के अन्तर्गत हुए बाकी के काम पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के संबंध में उठाए गए कदम और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं।

सरकार का उत्तर

चरण-।। में सभी पक्षकारों अर्थात दोनों राज्य सरकारों नामत: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने मसौदा समझौता ज्ञापन पर चर्चा की है औ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अपनी सहमति दी है और पीजीसीआईएल ने भी मसौदा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दी है और दोनों राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेशऔर उत्तराखंड के लिए शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर किए जाएगें।

दोनों राज्यों में किए गए उपयों और इस संबंध में हुई उपलब्धियेां की जानकारी निम्नानुसार है:-

सीपीएसयू आधारित मॉडल चरण-।। के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयनकारी एजेंसी के चयन के लिए संविदा दिनांक 17 जुलाई, 2018 को (वित्तीय बोली) खोली गई जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

उत्तराखंड में चरण-।। के लिए भूमि के ऊपर (ओवर हैड) ओएफसी बिछाने और राज्य में भूमि के ऊपर ओएफसी बिछाने के लिए विद्युत खंभों की जीआईएस मैपिंग हेतु व्यवर्हायता संबंधी सर्वेक्षण किया गया है। पीजीसीआईएल द्वारा उत्तराखंड के लिए कार्यान्वयनकारी एजेंसी के चयन हेतु आरएफपी भी दिनांक 24 अप्रैल 2018 को दिया गया और दिनांक 10 जुलाई 2018 को खोला गया तथा इसका मूल्यांकन किया जा रहा है:-

चरण-।। के तहत दो राज्यों के लिए बोली खोलने से संबंधित पीजीसीआईएल की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

पीजीसीआईएल				
क्र.सं.	**राज्य**	**कुल ग्राम पंचायतें**	**चरण-।। के तहत कुल ग्राम पंचातें**	**स्थिति**
1.	हिमाचल प्रदेश	3246	2994	हिमाचल प्रदेश की आरएफपी 29.03.2018 को दी गई और 13.06.2018 को खोली गई। दोनों पैकेजों के लिए वित्तीय बोली 17.07.2018 को खोली गई। वित्तीय मूल्यांकन और आपसी लेन-देन का कार्य पूरा हो गया है।
2.	उत्तराखंड	7569	5706	आरएफपी 24.04.2018 को दी गई और 10.07.2018 को खोली गई तथा तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो गया है और प्रबंधन ने अनुमोदित कर दिया है। वित्तीय बोली खोल दी गई है। ईआरए (ई-रिवर्स ऑक्शन) पूरा हो गया है। संशोधित डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है जिसका मूल्यांकन चल रहा है।
कुल		**10,815**	**8,358**	

हिमाचल प्रदेश की अद्यतन स्थिति (चरण-। का शेषकार्य) **अनुबंध-।।** के रूप में संलग्न है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

<u>परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-12)

समिति ने नोट किया कि बिहार और पंजाब के दो राज्य निजी क्षेत्र द्वारा संचालित मॉडल के तहत लागू किए जाएगें। समिति को सूचित किया गया है कि लगभग 7500 ग्राम पंचायतों को शामिल करने वाले दो राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसी के चयन के लिए निविदा 15 दिसंबर, 2017 आमंत्रित की गई है और वित्तीय बोलियां खोली गई हैं और मूल्यांकन के तहत है और अग्रिम खरीद आदेश जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। समिति को बताया गया कि राज्य संचालित मॉडल सिवाय तमिलनाडु के, सीपीएसयू संचालित मॉडल और निजी क्षेत्र संचालित मॉडल के अंतर्गत सभी राज्यों में टर्न की आधार पर भारतनेट चरण-दो को लागू करने में निजी क्षेत्र व्यापक रूप से योगदान दे रहा है। निजी क्षेत्र ने इन सभी ईपीसी निविदा में भाग लिया है। समिति को आगे बताया गया कि ईपीसी मॉडल के अंतर्गत एक निविदा/विक्रेता के असफलता के कारण परियोजना में विलंब नहीं होता है क्योंकि मार्ग का सर्वेक्षण, नेटवर्क संरचना, सामग्री की खरीद, फाइबर बिछाने, उपकरण लगाया जाना और सभी अवयवों का एकीकरण केवल एक टर्न की ठेकेदार द्वारा किया जाता है।

समिति आशा करती है कि परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी दक्षता लाएगी और इस प्रकार लक्ष्यों को बेहतर रूप से प्राप्त करने में मदद करेगी और इसलिए अनुसंशा करती है कि निजी क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत बिहार और पंजाब में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। हॉलाकि समिति ने सचेत किया कि परियोजना के समय पर क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्रों के द्वारा लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और नियमों और शर्तों में उपयुक्त दंड प्रावधान होना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजना लागू करने में प्राप्त उपलब्धियों और सफलता के बारे में समिति को बताया जाए।

सरकार का उत्तर

बीबीएनएल ने ईपीसी मोड में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में दो राज्यों नामत: बिहार और पंजाब में कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा आमंत्रित की है और दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में की गई कार्रवाई निम्नवत है:

बिहार और पंजाब दोनो पैकेजों के लिए क्रय आदेश (पीओ) जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब के सभी 50 ब्लाकों और बिहार के सभी 122 ब्लाकों का कार्य करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा बिहार में कार्यान्वयन कार्य भी शुरू हो चुका है।

पंजाब और बिहार राज्य में प्राइवेट सेक्टर को प्रदान की गई निविदा में पर्याप्त दंडात्मक खंड रखे गए हैं।

कार्य की प्रगति के संबंध में प्राइवेट सेक्टर राज्यों की मौजूदा स्थिति के साथ दोनों राज्यों में फिलहाल यथा संलग्न **अनुबंध- IV** के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

<u>उपग्रह के माध्यम से कनेक्टिविटी</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-13)

समिति नोट करती है कि चरण-।। के अंतर्गत देश में 6407 ग्राम पंचायतों को उपग्रह कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 4938 ग्राम पंचायत जम्मू-कश्मीर में 885 ग्राम पंचायत देश के शेष भाग में 589 (ग्राम पंचायत) हैं। 1407 ग्राम पंचायतों को बीएसएनएल द्वारा जून, 2018 तक उपग्रह के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा और शेष बोली लगाने के प्रक्रिया से दिसम्बर, 2018 तक पूरा किया जाएगा। समिति आशा करती है कि बीएसएनएल 1407 जीपी में अब तक उपग्रह के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करा चुकी है। समिति नोट करती है कि बीबीएनएल ने 5000 ग्राम पंचायतों के लिए निविदा जारी की है। उपग्रह के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने में उपग्रह बैंडविथ की कमी और "अंतरिक्ष" द्वारा वसूली जाने वाली परिचालन लागत इससे जुडी हुई बाधाएं हैं। उच्च परिचालन लागत का कारण इसरो का एकाधिकार है और विभाग ने समिति को बताया है कि 2-3 वर्षों में अधिकाधिक बैंडविथ की उपलब्धता के साथ पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। समिति नोट करती है कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्य कुछ आधारभूत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसने परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। यद्यपि, उन्हें सरकार के विशेष ध्यान और सुदृढ संचार नेटवर्क के प्रावधान की आवश्यकता है जिससे कि लोगों के जीवन में सुधार करने हेतु सरकार के दीर्घकालीन कार्यक्रमों और नीतियों की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।

समिति में यह सिफारिश की है कि उपर्युक्त राज्यों को कवर करने वाली सभी पहचान की गई 6407 ग्राम पंचायतों को उपग्रह के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूएसओएफ के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है, समिति की यह राय है कि यूएसओएफ की राशि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उपग्रह संबंधी भारी लागत को इन ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इस समिति को उपग्रह कनेक्टिविटी की प्रक्रिया में आने वाली किसी प्रकार की विशिष्ट बाधा से भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

इसरो ने हाल ही में अपने उपग्रहों के जरिए बीएसएनएल को बैंडविड्थ आवंटित किया है तथा बीएसएनएल 1407 ग्राम पंचायतों में सेटेलाइट कनेक्टिविटी संस्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा बीएसएनएल पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के करीव 5000 ग्राम पंचायतों में सेटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्रम आदेश (पीओ) भी दे दिया है।

ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूएसओएफ के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध है। सेटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-। दिनांक 20.02.2018)

<u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारतनेट का उपयोग</u>

(सिफारिश क्रम संख्या-14)

विभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि अब उनका ध्यान नेटवर्क के उपयोग पर केन्द्रित है। समिति नोट करती है कि भारतनेट को केरल , कर्नाटक, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि जैसे राज्यों/ संघ राज्यों इत्यादि में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अपितु, समिति का यह मानना कि भारतनेट के उपयोग का स्तर अभी भी बहुत कम है तथा इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। समिति को यह जानकर निराशा हुई कि यद्यपि चंडीगढ़ में यह परियोजना भले ही 100 प्रतिशत पूरी कर ली गई है, अभी तक कोई भी एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है। समिति को इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया का पहला स्तम्भ है और डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों जैसे सेवा प्रदाता, राज्य सरकारें अतिंम उपयोगकर्ता आदि सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। क्योंकि राज्यों को उत्तरदायित्व उपयोगिता और दूरसंचार नेटवर्क का अंतिम कार्यान्वयन भी दिया गया है और समिति आशा व्यक्त करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नेटवर्क की उपयोगिता में व्यापक वृद्धि होनी चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्रिय रूप से शामिल होकर तथा भागीदारी के साथ नेटवर्क की बेहतर उपयोगिता के लिए स्पष्ट रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दृष्टिकोण इस प्रकार का होना चाहिए कि विभिन्न जी.पी और संस्थानों को शीघ्राति शीघ्र को दिशांत कनेक्टिविटी प्रदान की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

दूरसंचार आयोग ने दिनांक 11.07.2018 को इस बात की मंजूरी है कि डाकघरों, स्कूलों, अस्पतालों जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों को क्षैतिज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों के लिए एक गांव में औसतन तीन एक्सेस प्वाइंट स्थापित किए जाते है। तदनुसार बीबीएनएल द्वारा अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए निकाले गए टेंडर के लिए निकाले गए आरएफपी में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

पेकेज में प्रति ग्राम पंचायत औसतन 5 एक्सेस प्वाइंट होंगे। जिनमें से प्रत्येक वैसे ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक एक्सेस प्वाइंट आवश्यक रूप से स्थापित किया जाएगा भारतनेट बैकहॉल का इस्तेमाल भारतनेट द्वारा नहीं किया जाता है। संस्थापित किए जाने वाले दूसरे सार्वजनिक एक्सेस प्वाइंट (एपी) के लिए क्रियान्वयक एजेंसियां अपनी व्यापार संबंधी जरूरतों के अनुसार स्थान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगी। स्थापित किए जाने वाले शेष एपी सरकार/बीबीएनएल के निर्देशानुसार संस्थापित किए जाएगें ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी संस्थानों को जोड़ा जा सके।

इसके अलावा नेटवर्क के उपयोग के लिए सभी राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। राज्यों की टिप्पणियों के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा सभी राज्यों को परिचालित किया जा चुका है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

बीबीएनएल का पुर्नगठन

(सिफारिश क्रम संख्या-18)

समिति यह नोट करती है कि भारत-ब्रॉडबैंड-नेटवर्क-लिमिटेड (बीबीएनएल) एक विशेष प्रयोजन साधन है जो भारतनेट के संस्थापन, रख-रखाव और प्रचालन के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन की निगरानी और नेटवर्क के संचालन करने का भी कार्य करता है। बीबीएनएल के कार्यों में ऐसे राज्यों में इसका प्रत्यक्ष रुप से कार्यान्वयन भी शामिल है, जहां राज्यों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ये कार्य नहीं दिए गए हैं, उपलब्ध करवाना जहां अपेक्षित हो वहां वस्तुओं की खरीद करना और सेवाएं उपलब्ध करना, कारोबार का विकास, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) स्वीकृति इत्यादि के लिए समन्वय स्थापित करना आदि। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति यह भी नोट करती है कि 294 कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले विभिन्न स्तरों पर मौजूदा कर्मचारियों की संख्या 127 है, जिसका तात्पर्य यह है कि मौजूदा कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या का मात्र 43.19 प्रतिशत कार्यरत है। समिति को इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी अधिक संख्या में रिक्तियां होने से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। समिति यह भी नोट करती है कि बीबीएनएल का पुनर्गठन विचारित है, प्रचालन और अनुरक्षण की नई आवश्यकतानुसार इस प्रस्ताव पर तथा राज्य संचालित माडॅल, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित माडॅल और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अलग-अलग मॉडलों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि ऐसे राज्यों में जहां राज्यों को और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य नहीं सौंपा गया है, वहां प्रत्यक्ष कार्यान्वयन जैसी संशोधित रणनीति के कार्यान्वयन के कारण बीबीएनएल की भूमिका और उसके कार्यकरण में परिवर्तन आया है।

इस तथ्य के मद्देनजर, समिति यह महसूस करती है कि विभिन्न स्तरों पर मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रतिशीघ्र भरा जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि बीबीएनएल के पुनर्गठन का प्रस्ताव, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है, को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि बीबीएनएल संशोधित रणनीति के अनुसार उसे सौंपे गए कार्यों को प्रभावी तरीके से कर सके और रिक्तियां भरे जाने तक बीबीएनएल द्वारा अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि स्टाफ की कमी के कारण कार्य की गति पर कोई और अधिक प्रभाव न पड़े।

सरकार का उत्तर

बीबीएनएल एक उदीयमान संगठन होने के नाते अधिदेशित कार्यों को प्रभावी रुप से निष्पादित कर रहा है ताकि विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को भरा जा सके। इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:-

- सीधी भर्ती
- प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्तियों को भरना

बीबीएनएल ने अब तक 4 भर्ती अभियान चलाए हैं, परन्तु चुने गए अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसी बीच, बीबीएनएल विभिन्न स्तरों पर रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के लिए अपने 5वें भर्ती अभियान को चलाने के बारे में कार्रवाई कर रहा है और यह मामला सक्रिय रुप से विचाराधीन है।

(संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का.ज्ञा.सं. 14-06-2018 नीति-I दिनांक 20.02.2018)

नई दिल्ली
18 मार्च, 2020
28 फाल्गुन, 1941 (शक)

डा. शशि थरूर
सभापति
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-I

दिनांक 04.01;2019 की स्थिति के अनुसार रेल टेल की स्थिति

क्रम सं.	**चरण-I**	**संशोधित कार्य क्षेत्र (चरण-I)**			**जिन ग्राम पंचायतों के लिए पाइप बिछाए गए है**	**जिन ग्राम पंचायतों के लिए केबल बिछाई गई**	**सेवा के ग्राम पंचायतें**	**आज तक सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायत का प्रतिशत**	**ग्राम पंचायतों में बिछाई गई ओएफसी का प्रतिशत**
इकाई		**जिला**	**ब्लॉक**	**जीपी**	**जीपी**	**जीपी**	**जीपी**	**सेवा के लिए तैयार जीपी/कुल जीपी (प्रतिशत)**	**जिन ग्राम पंचायतों के लिए केबल बिछाई गई है/ कुल ग्राम पंचायतें**
रेलटेल (7 राज्य एवं 1केन्द्र शासित प्रदेश)		**63**	**316**	**10784**	**9644**	**8829**	**6317**	**59 प्रतिशत**	**82 प्रतिशत**
1	अरुणाचल	7	68	677	651	564	43	6 प्रतिशत	83 प्रतिशत
2	नागालैंड	11	48	874	843	639	86	10 प्रतिशत	73 प्रतिशत
3	मणिपुर	5	14	650	347	338	258	40 प्रतिशत	52 प्रतिशत
4	मिजोरम	8	13	262	155	118	23	9 प्रतिशत	45 प्रतिशत
5	त्रिपुरा	8	41	864	841	817	527	61 प्रतिशत	95 प्रतिशत
6	मेघालय	5	23	948	590	334	122	13 प्रतिशत	35 प्रतिशत
7	गुजरात	15	103	6376	6080	5882	5119	80 प्रतिशत	92 प्रतिशत
8	दमन एवं द्वीप	1	2	15	18	18	17	113 प्रतिशत	120 प्रतिशत
9	डी एवं एनएच	1	1	20	21	21	21	105 प्रतिशत	105 प्रतिशत
10	पुद्दुचेरी	2	3	98	98	98	101	103 प्रतिशत	100 प्रतिशत

परिशिष्ट-II

एजेंसीवार आरओडब्ल्यू मामलों का सारांश

दिनांक 04.01.2019 की स्थिति के अनुसार एजेंसी-वार आरओडब्ल्यू मामलों का सारांश											कुल योग	
	रेलवे		एनएचएआई		वन		तेल और गैस		अन्य (एनएच)		लंबित	
कुल	32 मामले	91 जीपी	29 मामलें	119 जीपी	52 मामले	264 जीपी	मामले	जीपी	2 मामले	7 जीपी	115 मामले	481 जीपी

<u>अनुबंध - एक</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2019-20)

समिति की बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

.....

समिति की बैठक बुधवार, 18 मार्च, 2020 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

3 श्री कार्ती पी. चिदम्बरम

4. डॉ. निशिकांत दुबे

5. चौधरी महबूब अली कैसर

6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

7. डॉ सुकान्त मजूमदार

8. श्री पी.आर.नटराजन

9. श्री संतोष पांडे

10. कर्नल. राज्यवर्धन सिंह राठौर

11. श्री संजय सेठ

12. श्री एल.एस.तेजस्वी सूर्या

13. डॉ टी. सुमति तामिझाची

14. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

15. डॉ. अनिल अग्रवाल

16. श्री वाई.एस.चौधरी

17. श्री सुरेश गोपी

18.श्री मो. नदीमुल हक

19. श्री सैयद नासिर हुसैन

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2. श्री वाई. एम. कांडपाल	-	निदेशक
3. डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
5. श्री शांगरीसो जिमिक	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों से संबंधित तीन प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने विचार और स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लिया:-

(i) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित "भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति" संबंधी पचासवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर प्रारुप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन ।

(ii). . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

(iii) . . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

4.इसके उपरांत, समिति ने कुछ संशोधनों के साथ उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

5 . . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××. . . ××××

6. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदन को संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

××××. . . **मामले प्रतिवेदन से संबंधित नहीं हैं।**

<u>अनुबंध</u>-II

समिति के 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(देखिये प्राक्कथन का पैरा सं. 5)

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	कुल 10
सिफारिश क्रम सं. 1,2,4,5,6,8,15,16,17 और 21	प्रतिशत 47.62
(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	कुल शून्य
सिफारिश क्रम सं. शून्य	प्रतिशत 0.00
(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है-	कुल 06
सिफारिश क्रम सं. 3, 7, 10, 11, 19 और 20	प्रतिशत 28.58
(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अंतरिम प्रकृति के है-	कुल 05
सिफारिश क्रम सं. 9, 12, 13, 14 और 18	प्रतिशत 23.80